UPET010010932021

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश,कक्ष संख्या-01,एटा।

उपस्थितः मनीषा,उच्चतर न्यायिक सेवा, J.O.code UP 6137

सत्र परीक्षण संख्या-261 सन् 2021

उ०प्र० राज्य

प्रति

1. अवधेश कुमार }
2. बृजेश कुमार }पुत्रगण श्रीराम निवासीगण नगला सेवा थाना निधौली-कलाँ जिला एटा।

अ०सं०-300/2019
धारा-308,504,325 भा०दं०सं०
थाना-अवागढ़,जिला-एटा।

संक्षिप्त विवरणः	
सत्र परीक्षण संख्या	261/2021
मुकदमा अपराध संख्या	300/2019
अभियोजक	उत्तर प्रदेश सरकार
प्रतिनिधित्व	सहा0 जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०)
अभियुक्त	अवधेश कुमार, बृजेश कुमार
प्रतिनिधित्व	श्री अनिल कुमार जैन एड०
घटना की तिथि	14-12-2019
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किए जाने की तिथि	15-12-2019
न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर लिए गये संज्ञान की तिथि	14-02-2020
सत्र सुपुर्दगी आदेश की तिथि	02-02-2021
आरोप विरचित किए जाने की तिथि	06-04-2021
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	10-05-2021

Digitally signed by MANISHA
Date: 2026.07.13 16:06:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान की तिथि	02-06-2026
निर्णय की तिथि	13-07-2026
निर्णय परिणाम	दोषसिद्ध

<u>निर्णय</u>

1. उपरोक्त दाण्डिक वाद का आरम्भ वादी मुकदमा उमेश कुमार पुत्र राजपाल सिंह द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण अवधेश, बृजेश कुमार व धर्मेन्द्र उर्फ करूआ के विरुद्ध मु०अ०स० 300/2019 धारा-308,504 भा०दं०सं० थाना अवागढ़ जिला एटा के अंतर्गत दर्ज किए जाने एवं बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण अवधेश कुमार व बृजेश कुमार के विरुद्ध आरोपपत्र धारा-308, 325, 504 भा०दं०सं० के अंतर्गत प्रेषित किए जाने पर हुआ।
2. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी द्वारा इस आशय की तहरीर दी गई कि " प्रार्थी से करीब 2-3 वर्ष से न्यायालय में रहीश पाल सिहं निवासी बसुन्धरा जमीन को लेकर मुकदमा चल रहा है। उक्त जमीन की खरीददारी में अवधेश कुमार का रूपया लगा है। उक्त जमीन के मुकदमे में प्रार्थी की दिनांक 20-12-2019 गवाही मे लगी थी उक्त दिनाँक 14-12-2019 को समय करीब 05 बजे शाम प्रार्थी अपनी पत्नी श्रीमती सीमा के साथ खेत से चारा लेकर घर आ रहा था कि पिपेहरा रोड पुलिया के पास पहले से एक राय होकर घात लगाये बैठे अवधेश,बृजेश,धर्मेन्द्र पुत्रगण श्रीराम निवासीगण नगला सेवा थाना निधौली कलॉ एटा ने गाली गलौज देते हुए जान से मारने की नियत से तंमचा व फरसा लाठी डंडे से हमला कर दिया। सभी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि जान से मार दो दोनो को अगली तारीख पर गवाही देने न जाने पाये और अवधेश कुमार ने मेरी पत्नी के सर पर फरसा से हमला जान से मारने की नियत से कर दिया जिससे मेरी पत्नी गंभीर रुप से घायल होकर गिर गई तथा बेहोश हो गई। उसके पति के भी काफी चोटे आयी है। चीख पुकार सुनकर गाँव व पास पडौस के सन्जू, जयवीर, श्रीमती अनीता आदि

लोग आए जिनको देखकर तमंचा व फरसा लाठी लहराते हुए अपने गाँव की ओर चले गए। जाते समय कहा की आज तो बच गया,यदि गवाही दी तो अगली बार बच नहीं पायेगा। मेरी पत्नी को एटा सरकारी अस्पताल भेजा गया। हालत गम्भीर देखकर वहीं के डाक्टरो ने आगरा रेफर कर दिया। मेरी पत्नी सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा मे जिंदगी व मौत से लड़ रही है। वो अपराधी किस्म के लोग है। इन पर कई थानो में मुकदमे है। रिपोर्ट को आया हूँ मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। "

3. वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण अवधेश कुमार, बृजेश कुमार व धर्मेन्द्र उर्फ करूआ के विरूद्ध अ०सं०-300/2019 धारा-308, 504 भा० दं० सं० थाना-जैथरा,जिला-एटा पर दिनांक 15-12-2019 को मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसका खुलासा नकल रपट संख्या-24 पर समय 10-24 बजे दिनांक 15-12-2019 को ही किया गया।

4. मुकदमे की विवेचना निरीक्षक सियाराम द्वारा की गई। उनके द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, वादी तथा गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं ० प्र०सं० अंकित किए गए। विवेचक ने सम्पूर्ण साक्ष्य एकत्रित किया और साक्ष्यों के आधार पर विवेचनोपरान्त उसने अभियुक्तगण अवधेश कुमार, बृजेश कुमार एवं धर्मेन्द्र उर्फ करूआ के विरुद्ध आरोप पत्र अ०सं०-300/2019 धारा-308,504 व 325 भा०दं०सं०थाना-जैथरा ,जिला-एटा के अन्तर्गत प्रेषित किया गया। जिस पर दिनांक 14-02-2010 को सिविल जज,(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,जलेसर, एटा द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय पाते हुए सम्बन्धित अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 02-02-2021 को सत्र सुपुर्द किया गया जो सत्र परीक्षण संख्या 261/2021 राज्य बनाम अवधेश कुमार आदि के रूप में दर्ज हुआ।

5. विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 06-04-2021 को अभियुक्तगण अवधेश कुमार व बृजेश कुमार पर धारा 308, 504 व 325 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप

विरचित किया गया, अभियुक्तगण ने दोषी होने के अभिवचन से इंकार किया एवं परीक्षण की याचना की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोप को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये।

क्र.स.	**साक्षीगण**	**अभियोजन साक्षी का नाम**
01.	पी०डब्लू-1	वादी मुकदमा उमेश कुमार
02.	पी०डब्लू-2	सीमा पत्नी उमेश कुमार
03.	पी०डब्लू-3	जयवीर
04.	पी०डब्लू-4	सेवानिवृत्त एच.एम. रामेश्वर प्रसाद
05.	पी०डब्लू-5	डॉ० संजीव कुमार
06.	पी०डब्लू-6	सेवानिवृत्त डॉ० वी.पी. सिंह
07.	पी०डब्लू-7	डॉ० राहुल वार्ष्णेय
08.	पी०डब्लू-8	कॉ० अनूप कुमार

7. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल की गयी है।

क्र.स.	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**
01.	तहरीर	प्रदर्श क-1
02.	जी०डी० कायमी	प्रदर्श क-2
03.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क-3
04.	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट सीमा	प्रदर्श क-4
05.	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट सीमा	प्रदर्श क-5
06.	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट (NCC OF BRAIN) सीमा	प्रदर्श क-6
07.	रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट उमेश	प्रदर्श क-7
08.	चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट उमेश	प्रदर्श क-8

09.	नक्शानजरी	प्रदर्श क-9
10.	आरोप पत्र	प्रदर्श क-10

8. अभियोजन द्वारा अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में कुल 08 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया।

9. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने केस को साबित करने के लिए बतौर साक्षी **पी०डब्ल्यू-01 उमेश** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "घटना दिनांक 14.12.19 समय करीब शाम 5:00 की है। वह अपनी पत्नी सीमा के साथ खेत से चारा लेकर अपने घर आ रहा था कि पिपेरा रोड पुलिया के पास पहले से घात लगाए बैठे अवधेश कुमार, बृजेश कुमार, धर्मेंद्र उर्फ करुआ पुत्रगण श्रीराम निवासी नगला सेवा थाना निधौली कला एक राय होकर गाली गलौज देने लगे। यह लोग जमीन के मुकदमे को लेकर पहले से रंजिश मानते थे। गाली गलौज देने से मना किया तो उक्त लोगों ने अपने हाथों में लिए तमंचा, फरसा, लाठी, डंडे से जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया और सभी लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, सालों को जान से मार दो अगली तारीख पर सिविल के मुकदमे में गवाही देने न जा पाएं। अवधेश कुमार ने उसकी पत्नी के सिर पर फरसे से हमला किया, जिससे उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई तथा उसके भी काफी चोटें आईं। उक्त लोगों के द्वारा मारपीट के दौरान उनकी चीख पुकार पर पास पड़ोस के संजू, जयवीर व अनीता और बहुत से लोग आ गये जिन्होंने उन्हें बचाया और घटना देखी। उपरोक्त लोग तमंचा,फरसा लहराते हुए ,यह कहते हुए चले गए कि साले आज तो बच गया है फिर गवाही देने गया तो जान से मार देंगे। वह अपनी पत्नी को लेकर पहले थाने गया वहां से सिपाही के साथ जिला अस्पताल आया। जिला अस्पताल से गंभीर हालत देखते हुए आगरा रेफर कर दिया गया। आज तक उसकी पत्नी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। गवाह ने पत्रावली पर 5अ देखकर कहा कि यह वही कागज है जिसे

उसने टाइप कराकर हस्ताक्षर कर थाने में दिया था जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया"

10. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने जिरह में कथन किया कि "थाना अवागढ़ पर अपराध संख्या 16/2020 पर धारा 452, 323, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा उक्त अवधेश की पत्नी उषा देवी द्वारा दिनांक 14.12.19 को शाम 5:00 बजे की घटना बताते हुए दिनांक 03.01.20 को उसके खिलाफ व जुगेश, सुनील के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है। यह कहना गलत है कि उपरोक्त मुकदमा उसके व दो अन्य के खिलाफ लिखा गया हो जिसे वह जानबूझकर न्यायलय में आज छिपा रहा हो। यह कहना गलत है कि दिनांक 14.12.19 को समय सायं 5:00 बजे अभियुक्त अवधेश की पत्नी उषा देवी अपने घर पर थी और उसने, योगेश व सुनील ने घर में घुसकर मां बहन की गंदी-गंदी गालियां दी हों और उषा देवी के मना करने पर उसने व अन्य ने उषा देवी के बाल पकड़कर गिराया हो और योगेश ने पेट में लात मारी हो औार तभी बृजेश और करू आ गये हों व बृजेश को भी मारा पीटा हों। उसके व रहीशपाल के मध्य जो दीवानी का मुकदमा चल रहा है,वह 2016 -2017 से चल रहा है। इस दीवानी के मुकदमे में अभी तक उसकी गवाही नहीं हो पाई है। उसके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि अवधेश कुमार ने रहीशपाल की जगह में कोई रुपया नहीं लगाया हो। संजू पुत्र ओसपाल निवासी वसुंधरा थाना अवागढ़ उसके गांव नाते बुआ के लड़के हैं व केला देवी परिवारी नहीं है। दादा की पीढ़ी से है जिसकी उसे जानकारी नहीं है। जयवीर पुत्र होडल सिंह निवासी वसुंधरा उसके ताऊ के लड़के हैं। अनीता पत्नी राजकुमार उसके गांव की है उससे उसके संबंध हैं। यह बात सही है कि संजू, जयवीर, अनीता को उसने अपने इस मुकदमे में गवाह बनाया है। अनीता के यहां उसका आना-जाना नहीं है। होली दिवाली जाते हैं। वह शादी संबंध व्यवहार में अनीता के यहां नहीं जाता है क्योंकि वह प्रजापति होते हैं।

प्रजापति कुम्हार होते हैं वह यादव है। प्रजापति भी ओबीसी में आते हैं और वह भी ओबीसी में आते हैं। वह दिनांक 14.12.19 को शाम 4:00 बजे अपनी पत्नी सीमा के साथ अपने खेत पर चारा लेने गया था। जिस खेत पर वह चारा लेने के लिए गया था वह खेत उसका नहीं है पट्टे का है। यह खेत उसने पुष्पेंद्र पंडित जो उसके गांव के हैं उनसे लिया था। पट्टे वाला चार साढ़े चार बीघे का था। उस खेत में उसने गेहूं बो रखे थे तथा बरसी भी बो रखी थी। गेहूं की बाल निकल चुकी थी। गेहूं की फसल कितने फिट निकल आयी थी। उसे जानकारी नहीं है। फीट वह नहीं जानता है। वह कक्षा 5 तक पढ़ा है। उसे स्कूल में टीचर ने लंबाई चौड़ाई व दिशाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। गवाह ने हंस कर बताया कि दिशाओं की जानकारी है। वह चारा लेने के लिए घर से हसिया, पतली व बोरी लेकर गया था। बोरी में भूसा भरकर लाया था। उसने अपनी तहरीर में बोरी में भूसा भर कर खेत से लाने वाली बात नहीं लिखी। बोरी में भूसे भरने वाली बातें उसने विवेचक को नहीं बताई थीं। हसिया वह ले गया था या पत्नी ले गई थी उसे जानकारी नहीं है क्योंकि बहुत समय हो गया है। समय ज्यादा होने के कारण वह कुछ बातें भूल गया है। खेत से हरा चारा उसने काटा था पत्नी ने नहीं काटा था। वह हरा चारा काटता रहा था और पत्नी हरा चारा इकट्ठा करके पतली में भरती रही। वह घर से चलकर 10 मिनट में खेत पर पहुंच गया था। जिस खेत में वह चारा लेने गया था वह खेत गांव से 300 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में है। वह जो हरा चारा बता रहा है वह बरसीन थी जिसे उसे काटने में 35-40 मिनट का समय लगा होगा। उसने कुछ आराम नहीं किया था। इस खेत में खुले में भूसा पड़ा हुआ था। भूसा 10-15 गठरी के बराबर था। उसमें से वह एक बोरी भूसा भर कर लाया था। खेत में वह भूसे की बोरी को अपने सिर पर रख कर लाया था और उसकी पत्नी ने हरे चारे की गठरी अपने सिर पर रखी हुई थी। जो हांसिया, दरांती वह ले गए थे वह उन लोगों के हाथ में नहीं था। उनके

चारे वाली गठरी में था। भूसे की बोरी में 15 किलो फिर स्वयं कहा 10 किलो वजन था और हरी गठरी में 35 किलो से अत्यधिक वजन था। उसने पुरुष होकर 10 किलो की गठरी रखा और पत्नी महिला ने 35 किलो की गठरी रखी थी क्योंकि उसकी तबियत खराब थी। उसे बुखार आ गया था। उसने डॉक्टर से दवा ले ली थी। वह बहुत कमजोर था परेशान था। वह बीमारी में उठकर काम करता है। उसके द्वारा जो खेत पट्टे पर लिया गया था उसकी कोई भी लिखा पढ़ी उसने नहीं कराई थी। चारे की गठरी उसने पत्नी के सिर पर उठाकर रखी थी। बोरी उसने स्वयं उठा ली थी। वह घटना स्थल पर पूर्व दिशा से पहुंचा था। दरोगा जी ने उससे घटनास्थल पर पूर्व से जाने वाली बात नहीं पूछी थी। उसने विवेचक को चारा काटने वाली जगह नहीं दिखाई थी घटना वाली जगह दिखाई थी। उसने विवेचना को ऐसा नहीं बताया कि वह इस दिशा से आ रहा था और मुल्जिमान इस दिशा से आ रहे थे। वह और उसकी पत्नी दोनों पिटे थे। 10 मिनट मारपीट हुई थी। 10 मिनट की मारपीट में वह जमीन पर गिर गया था। पत्नी भी जमीन पर गिर गई थी। उसके खून नहीं निकला था। पत्नी का खून निकला था। खून जमीन पर गिर गया था। पत्नी के खून से कपड़े खराब हो गए थे। पत्नी मौके पर बेहोश हो गई थी। वह मौके पर बेहोश नहीं हुआ था। उसके शरीर में 4-6-10 लट्ठ पड़ गए थे। 10 पड़े थे या चार पड़े थे उसे नहीं पता। उसने अपने ऊपर पड़ने वाली लाठियाँ नहीं गिनी थी। अनगिनत लाठियां उसके शरीर पर पड़ी थी। पत्नी पर भी अनगिनत लाठियाँ पड़ी थीं। उसने दरोगा जी को खून पड़े होने वाली जगह नहीं दिखायी थी। जहाँ खून गिरा था वह जगह पक्की थी। दरोगा जी उसके सामने गाँव में दूसरे दिन आये थे। इस दौरान बारिश, आँधी गाँव में नहीं आयी थी। दरोगाजी ने उसके सामने खून वाली कोई मिट्टी नहीं ली थी। घटनास्थल एक पुलिया है। दरोगा जी को घटनास्थल वाली पुलिया दिखा दी थी जो पिपहरा रोड पर है। घटनास्थल के पूरब में कमलेश का मकान है

व स्टेशन के लिए रास्ता है। पश्चिम में खाली जगह पड़ी हुई है और लेखपाल का मकान भी है। लेखपाल के मकान व खाली जगह के बीच में रास्ता है। खाली जगह सरकारी है। अवधेश का मकान घटनास्थल से पूरब में है। अवधेश व कमलेश का मकान बराबर में है। कमलेश के पिता का नाम नत्थू सिंह है। कमलेश व अवधेश आपस में रिश्तेदार हैं या नहीं उसे जानकारी नहीं है। घटनास्थल से अवधेश का मकान कौन सी दिशा में है उसे दिशा नहीं पता। उस दिशा नहीं पढ़ी है फिर कहा कि घटनास्थल से अभियुक्त अवधेश व कमलेश का मकान पूरब की तरफ है। यह बात वह खूब सोच समझकर अच्छी तरह से बता रहा है। दरोगा जी मौका मुआयना करने के लिए कितने बजे गाँव में आये थे, उसे जानकारी नहीं है। वह नहीं बता सकता कि दरोगा जी जब मौका मुआयना पर आये थे तब सूरज कहाँ था ऊपर था या छिपा था या उसके सर पर था। घटना के बाद घर नहीं गया था। घटना से थाने गया था। पत्नी को दूसरे दिन सुबह आगरा होश आया था। घटनास्थल से वह पत्नी को गाड़ी में बैठाकर थाने गया था। गाड़ी स्विफ्ट थी सफेद रंग की थी। गाड़ी का नंबर उसे याद नहीं है। गाड़ी के मालिक नगला राजा के देवेंद्र थे। गाड़ी का चालक मुनेश निवासी मलौरा था। गाड़ी में जब पत्नी को बिठाया तो बेहोश थी। गाड़ी में भी पत्नी का खून गिर गया था। सीट कवर खून से खराब हो गए थे। पत्नी को किस-किस ने गाड़ी में पड़कर बैठाया उसके नाम उसे याद नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति के कपड़े खून से खराब हो गए थे। जो पत्नी का सर जांघ पर ले गया था जिसने पत्नी का सिर जाँघ पर रखा हुआ था वह व्यक्ति विकास निवासी नगला राजा का था। थाने पर उन लोगों के साथ जयवीर व संजू गए थे। जयवीर व संजू यह दोनों इस मुकदमें के गवाह हैं। उसने तहरीर गांव में नहीं लिखी थी न गाड़ी में लिखी थी दूसरे दिन लिखी थी। घटना वाले दिन वे लोग थाने गए थे। जितने लोग उसने अभी गाड़ी में बताए हैं वह साक्षी लोग थाना अवागढ़ गए थे। उसने उस दिन थाने में कोई

प्रार्थना पत्र नहीं दिया था। जिस गाड़ी से वे थाने गए थे उस गाड़ी को थाने के अंदर खड़ा किया था। उतरकर वह थाने के मुंशी के पास गया था फिर कहा कि वह इंस्पेक्टर से मिला था। इंस्पेक्टर को उसने घटना के बारे में पूरी बात बता दी थी। दरोगा जी ने पत्नी को बेहोशी की हालत में होने के कारण इलाज हेतु भेजा था। घटना के 15 मिनट के बाद गाड़ी आ गई थी। घटनास्थल से थाने में पहुंचने पर कितना समय लगा इसकी जानकारी उसे नहीं है। थाने से घटनास्थल की दूरी 6-7 किलोमीटर है। गाड़ी तेज चली थी या धीमे चली थी इसकी उसे जानकारी नहीं है। वह तो बाइक से गया था। बाइक पर उसके साथ दो अन्य व्यक्ति थे वह दो व्यक्ति सचिन व राजू थे। मोटरसाइकिल को राजू चल रहा था वह बीच में बैठा था सचिन पीछे बैठा था। मोटरसाइकिल हीरो होंडा थी नंबर उसे पता नहीं है। यह मोटरसाइकिल सचिन की थी। मोटरसाइकिल थाना परिसर के अंदर नहीं खड़ी की थी। पहले वह लोग थाने पर पहुंचे थे उसके पश्चात स्विफ्ट डिजायर पहुंची थी। थाना पुलिस ने उन लोगों को देखकर वापस कर दिया। 10-5 मिनट में एटा अस्पताल के लिए सिपाही को साथ भेज कर वापस कर दिया। थाने वाला सिपाही उन लोगों के साथ एटा आया था। सिपाही कागज लेकर आया था। सिपाही उन्हें पुलिस अस्पताल इमरजेंसी में लेकर आया था। सिपाही ने मेडिकल कराया था फिर कहा दूसरे दिन कराया था। उसे ध्यान नहीं है कि वह मेडिकल पुलिस ने कब करवाया था। जिस दिन उसका मेडिकल हुआ था उस दिन थाने का सिपाही उसके साथ जिला अस्पताल एटा आया था। सिपाही ने ही उसका मेडिकल जिला अस्पताल एटा में कराया था। कितने बजे सिपाही ने उसका मेडिकल कराया याद नहीं है। सिपाही का नाम उसे याद नहीं है। जो मेडिकल उसका जिला अस्पताल में हुआ था वह रिपोर्ट उसे नहीं मिली थी। सिपाही दे गया था। सिपाही ने उसके सामने कोई हस्ताक्षर मेडिकल रिपोर्ट पर किए थे उसे जानकारी नहीं है। उसके दस्तखत कराए थे। उससे

मेडिकल की फीस नहीं ली थी। पहले दिन जो सिपाही मेडिकल के लिए लाया था उसका नाम उसे याद नहीं है। एटा अस्पताल में वह 7-8 बजे शाम के बीच में आ गए थे। पत्नी का एटा में इलाज नहीं हुआ था। आगरा भेज दिया गया था। पट्टी रख दी थी। दवाई व इंजेक्शन एटा अस्पताल में लगे थे या नहीं वह पत्नी के साथ नहीं था क्योंकि वह रास्ते में पैसों के लिए रुक गया था। पत्नी के इलाज के 15 मिनट बाद वह एटा अस्पताल पहुंच गया था। आगरा सरकारी अस्पताल में पत्नी को लेकर गए थे। कोई पुलिस वाला आगरा नहीं गया था। पत्नी एटा में बेहोश थी। पत्नी को एटा में डॉक्टरों ने बेहोशी की हालत में देखा था। वह सरकारी एंबुलेंस से पत्नी के साथ आगरा गया था। आगरा अस्पताल पहुंचने की उसने घड़ी नहीं देखी। जिला अस्पताल से कितनी देर बाद आगरा के लिए निकले याद नहीं है क्योंकि कागज बनने में समय लगा था। आगरा से एटा की दूरी 85 किलोमीटर है या नहीं उसे जानकारी नहीं है। जिला अस्पताल एटा से घटना वाली रात को ही आगरा अस्पताल पहुंच गए थे, वह समय रात्रि का था। मध्य रात्रि थी भोर नहीं हुआ था। पत्नी आगरा अस्पताल में भी बेहोश थी। रात में ही पत्नी का इलाज शुरू हो गया था। पत्नी को इलाज के बाद सुबह 4:00 बजे होश आया था। घटना के दूसरे दिन शाम को पत्नी को आगरा सरकारी अस्पताल से निकाल कर प्राइवेट में भर्ती कर दिया। प्राइवेट अस्पताल में पत्नी 5 दिन रही थी उसके बाद वह पत्नी को गांव लाया था। जब गांव पत्नी को लाया तो ठीक-ठाक थी। दूसरे दिन शाम को पत्नी ने चाय पिया था। चार-पांच दिन उसकी पत्नी चाय दूध पर रही उसके बाद धीरे-धीरे खाना शुरू कर दिया। पहले दिन पत्नी ने किसी को नहीं पहचाना उसके बाद पत्नी ने उसे पहचान लिया था कि वह उसका पति है। उसकी पत्नी 6-7 दिन अस्पताल में भर्ती रही थी। घर आने के बाद उसकी पत्नी स्वयं लैट्रीन जाती थी फिर कहा पकड़ कर ले जाते थे। वर्तमान में उसकी पत्नी अच्छे से खा पी रही है और चल फिर रही है। इस समय उसकी

पत्नी बुरा भला सब जानती है। रिपोर्ट उसने पत्नी को घर लाने के बाद नहीं लिखी थी घटना के दूसरे दिन लिखी थी। वह पत्नी को अन्य लोगों के सहारे दूसरे दिन छोड़कर आगरा से अवागढ़ थाने पर आये थे। आगरा से वह 7:30-8:00 बजे सुबह चल दिया था। वह रोडवेज से चला था। अवागढ़ तिराहे पर उतरा था। तहरीर उसने थाने पहुंच कर लिखी थी। उसने तहरीर बाहर थाने परिसर में लिखी थी। वहीं पुलिस वालों ने लिखा था। फिर कहा कि पुलिस वाले बोलते गए थे उसके साथ वालों ने तहरीर लिखी थी। उसके बाद उसने थाने पर ही टाइप कराई थी उसके बाद उसने हस्ताक्षर किए थे। तहरीर पर उसने केवल दस्तखत किए थे और कुछ नहीं लिखा था। टाइप होने के बाद पुलिस वालों ने तहरीर देख ली थी और पुलिस वालों ने उसके दस्तखत करा लिए थे। जो थाने पर उसके साथ गया था वह उसका दोस्त का दोस्त था जो आगरा से ही गया था। वे तीन लोग थाने पर रिपोर्ट लिखने के लिए गए थे पुलिस ने उसे तुरंत रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी थी। जो पहले दिन मुंशी थाने पर मिले थे वही दूसरे दिन मिले थे या नहीं उसे नहीं पता। वहां तीन मुंशी बैठे थे उन्होंने तहरीर वहीं रखवा ली थी। थाने पर उससे कोई पूछताछ नहीं हुई थी। पूछताछ उससे घटनास्थल पर ही हुई थी। थाने पर उसकी पूछताछ व घटनास्थल पर उसकी पूछताछ कब और कितने बजे हुई थी यह उसे याद नहीं है। खून लगे कपड़े उसकी पत्नी के साथ गए। विकास के कपड़े उसने पुलिस को नहीं दिए दरोगा जी ने भी कपड़े नहीं देखे। जब वे लोग नीचे गिर गए थे,तो किस मुल्जिमान ने कितने लट्ठ मारे वह नहीं बता सकता। उसे जानकारी नहीं है कि अभियुक्त अवधेश की पत्नी का नाम उषा देवी है। वह गांव में आता जाता है। पहले से अवधेश को जानता पहचानता था उनके घर परिवार को भी वह जानता है। अवधेश की पत्नी उषा देवी ने एक रिपोर्ट थाना अवागढ़ में उसके, जुगेश व सुनील के विरुद्ध लिखायी थी। इस घटना में बृजेश कुमार को चोटें नहीं आई थी। वह बृजेश की चोटों को छिपा नहीं रहा है

। यह बात सही है कि अभियुक्त बृजेश व अवधेश आपस में सगे भाई हैं। यह कहना गलत है कि उसने ऊषा देवी के साथ हुई घटना से बचने के लिए यह झूठा मुकदमा बनाया हो और किसी अन्यथा प्रकार उसके व पत्नी को चोटें आई हो या बनाई हो जिससे कि वह उषा देवी के मुकदमे से बच सके।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी **पी०डब्ल्यू०-02 सीमा** को परीक्षित कराया गया है, इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " घटना आज से करीब पौने तीन वर्ष पहले शाम 05:00 बजे की है। वह अपने खेत से बरसीन लेकर आ रही थी तथा उसके पति भूसा लेकर आ रहे थे। जैसे ही वे लोग पीपहरा वाले पुलिया के पास आये। तो वहाँ पर पहले से अवधेश, बृजेश व करू,करू का कुछ और नाम है उसे मालूम नहीं है,घात लगाये बैठे थे। अवधेश के हाथ में फर्सा था। बृजेश कुमार के हाथ में तमंचा था और करू के हाथ में लाठी था। उपरोक्त लोगों ने उन लोगों को देखकर उसके पति को घेर लिया। उन्होने उसके पति को मारना पीटना शुरू कर दिया और कह रहे थे, जान से मार दो। उसके फर्सा अवधेश ने मारा था, जो उसके सिर पर लगा था। वह फर्सा लगने के बाद तुरन्त गिर गयी, उसके बाद उसे होश नहीं रहा था। ये लोग सरकारी सम्पत्ति पर जिस पर उसके दादा-परदादा घूरा-कण्डा व मवेशी बांधते चले आ रहे थे,उसका मुकदमा चल रहा है। उपरोक्त लोगों ने उस सरकारी जमीन को अपने घर वाली के नाम करा लिया है। इस सम्पत्ति पर कब्जा करने अवधेश व शांति आये थे। उस समय भी उसकी मारपीट हुयी थी। इस बात को लेकर उपरोक्त लोग रंजिश मानते थे। इस घटना की रिपोर्ट किसने करायी जानकारी नहीं है,क्योंकि उसे होश नहीं था। उसे नहीं पता कि उसका कहाँ इलाज हुआ। उसे नहीं पता कि उसका दरोगाजी ने बयान लिया था।"

12. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि " उमेश कुमार से उसकी शादी कितने दिन पहले हुई उसे नहीं पता। लेकिन उमेश उसका पति

हैं। उसे नहीं मालूम अवधेश की पत्नी का नाम ऊषा देवी है, लेकिन उसने उसको देखा है। जोगेश, सुनील उसके देवर लगते हैं। ऊषा देवी पत्नी अवधेश ने उसके पति उमेश, देवर जोगेश व सुनील पर एक मुकदमा थाने पर किया दिया था। उन्होने दिनांक 14-12-19 की घटना दिखाई है। उसे यह नहीं पता कि उस घटना में बृजेश को चोटें आयी हैं अथवा नहीं और उनका डाक्टरी मुआयना हुआ है अथवा नहीं। उसकी जानकारी में नहीं है कि दि० 14-12-19 को शाम 5 बजे उमेश, जोगेश, सुनील, ऊषा देवी के घर में घुसे हों और ऊषा देवी के बाल पकड़कर नीचे गिराया हो। शोर पर बृजेश, धर्मेन्द्र आये हों, उन्होने भी मारापीटा हो और मुहल्ले के लोगों के आने पर उमेश आदि जान से मारने की धमकी दे कर भाग गये हों। उसके मुकदमें के गवाह संजू पुत्र ओसपाल उसके पति उमेश कुमार के बुआ के लड़के लगते हैं और गवाह जयवीर पुत्र होडल सिंह उसके पति के ताऊ के लड़के हैं जो उसके परिवार के हैं। गवाह अनीता पत्नी राजकुमार उसके गांव के हैं। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में सरकारी जमीन पर उसके द्वारा घूरा व कण्डे पाथे जाने का कथन किया है। जबकि इस जमीन का उसके व उसके पति के नाम पट्टा नहीं है। मुल्जिमानों के द्वारा इस जगह पर कण्डा व कूड़ा डालने वाली बात उसे खराब लगी थी,क्योंकि उसके पुरखे सरकारी जमीन पर कण्डे-पाथते चले आ रहे हैं। उसी जगह के थोड़े हिस्से पर गांव के लोग व दूसरे गांव के लोग होली जलाते आ रहे हैं। मुल्जिमान उन लोगों को कहते हैं कि यह जमीन खाली कर दो नहीं तो जान से मार देंगे। यह वाली बात उसने दरोगाजी को नहीं बतायी, क्योंकि दरोगाजी को उसने बयान नहीं दिया। दरोगाजी को उसने बयान नहीं दिया क्योंकि उसे होश नहीं था। अगर दरोगा जी ने उसका कोई बयान लिखा गया है तो वह अपने आप लिख लिया है। उसने कोई बयान नहीं दिया। मुल्जिमानों ने जो बैनामा कराया है। वह किससे कराया है उसे नहीं पता। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों के नाम कोई बैनामा है। उसके गांव में सभी

जातियों के लोग रहते हैं। घटना वाले दिन वह व उसके पति उमेश कुमार खेत पर गये थे। अपने खेत पर गये थे। वह दिशाओं का ज्ञान नहीं रखती है। सूरज किधर उगता है और किधर डूबता है, यह वह नहीं बता सकती है। वह यह भी नहीं जानती कि उसके घर से गंगा जमुना किस-किस ओर है। जिस घर से वह खेत पर गयी थी एक-डेढ घण्टे लग जाता है। वह व उसके पति पैदल खेत पर गये थे। उस खेत में बरसीन की फसल होती है। वह दरांती व पल्ली लेकर खेत पर गयी थी। वह व उसके पति के अलावा खेत पर कोई अन्य नहीं गया था। घर से वे लोग ढाई तीन बजे के आसपास खेत के लिए गये थे। बरसीन काटने में उन्हें आधा घण्टे का समय लगा था। क्योंकिउन लोगों ने काटी थी। उन दोनों ने दो दरांती से बरसीन काटी थी। खेत से वापस घर आने में उन्हे डेढ घण्टे का समय लगा था। उसके पति को पुलिया पर मुल्जिमानों ने घेर लिया था। उसने अकेले घर पर बरसीन डाल दी थी और लौटकर आयी थी। क्योंकिउसने अपने घेर से देख लिया था। इन मुल्जिमानों ने उसके पति को घेर लिया था व जमीन पर डाल लिया था। वह घेर से पुलिया तक शोर मचाते हुए पहुॅची थी। उसे घेर से पुलिया तक पहुॅचने में दो-तीन मिनट का समय लगा होगा क्योंकि वह दौड़कर आयी थी। वह खाली हाथ ही दौड़कर आयी थी। घेर से पुलिया कौन सी दिशा में है नहीं बता सकती, पिपहरा रोड पर है। उसे नहीं पता कि पिपहरा रोड कितनी दूरी पर है। घटना स्थल के पास कुछ नहीं है। मुल्जिमानों ने उसके पति को 15-20 मिनट तक पिटाई की व मारापीटा था। पति वहीं जमीन पर गिर गये थे। मुल्जिमानों ने उसके पति पर लाठियाँ बरसाई थीं। वह पति पर गिरी थी और बचाने के लिए मुल्जिमानों से हाथ जोड़ा था। उन्होने उसे गाली दी व कहा कि तुमको ही देखना है। वह पहुॅचते ही हाथ जोड़ी लेकिन मुल्जिमान अवधेश ने उसके सर में फरसा मारा था। फरसा लगते ही वह बेहोश हो गयी थी। उसने नहीं देखा क्योंकि फरसा पीछे से मारा था। उसका मुंह उसके पति की

तरफ था। फरसा लगने के तुरन्त बाद वह गिर पड़ी व बेहोश हो गयी। उसके खून निकला था। उसके कपड़े खून से लथपथ हो गये थे, या नहीं उसे नहीं पता, उसके पति के खून निकला था या नहीं उसे नहीं पता। जमीन पर डालकर उसके पति को भी फरसे से मारा गया था। उसने पति के फरसे की चोट लगते हुए नहीं देखा था। पति बेहोश नहीं हुए थे। पुलिस गांव में आयी थी, उसे नहीं मालूम। उसे नहीं मालूम घटना के कितनी देर बाद वाहन आया था। वह घटना स्थल से या घर से थाने गयी थी,उसे नहीं मालूम। वाहन कौन लेकर आया उसे ध्यान नहीं है। कौन-कौन अस्पताल कब पहुॅचे उसे नहीं पता। कितने दिन बाद उसे होश आया उसे पता नहीं है। कितने दिन अस्पताल में रही उसे पता नहीं है। जब उसे होश आया था तब तक वह अस्पताल में थी। लेकिन हॉस्पिटल का नाम नहीं पता।उसे यह भी नहीं पता कि उसके पति रिपोर्ट लिखाने कब गये। उसे नहीं पता कि कितने दिन बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। खून लगे कपड़े उसने दरोगाजी को नहीं दिये। आज वह मोटर साइकिल से अदालत गवाही देने आयी है। वह आज अपने पति के साथ आयी है, उसके पति लेकर आये हैं। मुल्जिमान से उसका दीवानी का मुकदमा चल रहा है। उसके पति की पुरानी रंजिश चली आ रही है। दीवानी के मुकदमें की पैरवी उसके पति करते हैं। यह बात सही है कि यह फौजदारी का मुकदमा मुल्जिमान के विरूद्ध उसके पति ने कराया है। अभियुक्त अवधेश की पत्नी ऊषा देवी ने उसके पति व देवरों के विरूद्ध मुकदमा लिखवाया है। यह कहना गलत है कि मुकदमे बाजी आपसी रंजिश के कारण चल रही है। यह बात सही है कि इस मुकदमें के सम्बन्ध में किसी पुलिस वाले ने उसका कोई बयान नहीं लिया, न ही उसके कोई खून लगे कपड़े लिए। वह किसकी गाड़ी में आगरा गयी और उसे किसने उठाया, किसने बैठाया, यह उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने उसके व उसके पति के साथ कोई मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी नहीं दी

हो। यह बात सही है कि अभियुक्तगण अवधेश, बृजेश कुमार, व धर्मेंद्र आपस में सगे भाई है।उमेश आदि ने बृजेश के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। यह कहना गलत है कि उमेश आदि ने बृजेश के साथ मारपीट की हो। उस मुकदमें से बचने के लिए उसके पति ने झूठा मुकदमा लिखाया हो। यह कहना गलत है कि उसके मारपीट में चोटे न आयी हों। वह फिसल कर गिर गयी हो और झूठा मुकदमा रंजिश के कारण लिखाया हो।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी **पी०डब्ल्यू०-03 जयवीर** को परीक्षित कराया गया है, इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " घटना आज से 3 वर्ष पहले की है। समय करीब 5:00 बजे शाम की है उमेश अपनी पत्नी सीमा के साथ खेत से चारा लेकर घर जा रहा था। रास्ते में पहरा रोड पुलिया के पार पहले से ही एक राय होकर घात लगाए बैठे अवधेश कुमार, बृजेश कुमार, धर्मेद्र उर्फ कलुआ पुत्रगण श्री राम निवासी नगला सेवा ने गाली गलौज देते हुए जान से मारने की नीयत से अपने हाथों में लिए फरसा, लाठी, डंडों से उमेश व उमेश की पत्नी पर हमला कर दिया और यह मुल्जिमान आपस में कह रहे थे कि इनको जान से मार दो अगली तारीख पर गवाही देने ना जा पाए क्योंकि इनका आपस में दीवानी का मुकदमा चल रहा है। अवधेश ने उमेश की पत्नी पर जान से मारने की नीयत से फरसे से वार किया जिससे उमेश की पत्नी सीमा गंभीर रूप से घायल हो गई और गिर गई थी। उसे काफी चोटें आई। उनकी चीख की आवाज सुनकर वह, संजू व अनीता भी मौके पर आ गये तब यह लोग उन लोगों को देखकर यह कहते हुए भाग गये कि आज तो बच गए साले आइंदा गवाही दी तो जान से मार देंगे। इस घटना के संबंध में दरोगा जी को बयान दिया था यह सारी बातें दरोगा जी को बताई थी।"

14. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि " उसके बाबा का नाम बलवन्त सिंह है। वादी मुकदमा उमेश उसके ताऊ का बेटा है उसके व

उमेश के बीच झगड़े चल रहे थे। आज वह उमेश के साथ न्यायालय आया है। आज उमेश ने उससे कहा था घटना की गवाही देने के लिए चलो। आज वह व उमेश अपने गांव वसुंधरा से टेंपो के द्वारा एटा आये हैं। उमेश ही आज उसे न्यायालय लेकर आए थे। न्यायालय में आकर सरकारी वकील साहब से मिले थे। उमेश ने कहा था इस मुकदमे में ऐसे ऐसे गवाही देनी है जिसके आधार पर आज वह न्यायालय में गवाही दे रहा है। उसके ताई के बेटे उमेश का घर उसके घर से दो मकान की दूरी पर है। इस मुकदमे के बाद उनकी और उमेश की बातचीत होने लगी है। वह अवागढ़ में नौकरी करता है। वह अवागढ़ में ही रहता है। वह गांव रोजाना आता जाता है। वह मुन्नालाल गुप्ता लाला के यहां नौकरी करता है। लाला के यहां हलवाई की दुकान है। लाला की बड़ी दुकान है। लाला के यहां कढ़ाई में समोसे बनाने का उसका काम है। वह सुबह 6:00 बजे अवागढ़ दुकान पर जाता है। लाला की दुकान सुबह 6:00 बजे खुलती है। लाला की दुकान शाम 7-8 बजे तक खुलती है। समोसे 12:00 से बनकर 4:00 बजे तक चलते हैं। यह कहना गलत है कि वह लाला की दुकान पर शाम 6-7 बजे तक समोसे बनाता है। आवागढ़ से वसुंधरा के बीच में 15-20 मिनट की दूरी पर है। लाला की दुकान पर कोई छुट्टी नहीं होती है। तीज त्योहार पर ज्यादा चलाते हैं। घटना वाले दिन वह लाला के यहां नहीं गया था वह उस दिन घर पर था क्योंकि वह उस दिन हारा थका था। उसने डॉक्टर से दवाई नहीं ली थी मेडिकल से ही दवा ले ली थी। उसका पर्चा वह दाखिल नहीं कर सकता। वह पढ़ा लिखा नहीं है। इस मुकदमे की घटना की दिनांक वह नहीं बता सकता। घटना वाले दिन कौन सा दिन था वह नहीं बता सकता क्योंकि घटना को काफी समय हो गया है। घटना के समय का भी उसे याद नहीं है। घटना वाले दिन वह अपने घर पर था। उसके घर से घटना स्थल पर पहुंचने में कम से कम चार-पांच मिनट का समय लगता है। उमेश व उसकी पत्नी सीमा कितने बजे घर से चारा लेने के लिए गए थे उस समय कि उसे

जानकारी नहीं है। उमेश अपने पैतृक खेत से ही चारा लेने गए थे। उमेश अपने खेत में लगी बुर्जी से भूसा निकालकर ला रहे थे। उमेश गठरी में बुर्जी से भूसा निकालकर ला रहे थे। उमेश व उमेश की पत्नी सीमा दोनों ही पल्लियों में बुर्जी से भूसा निकाल कर गठरी बनाकर अपने सिर पर रखकर घर ला रहे थे। उमेश व सीमा पर कोई हांसिया नहीं था। यह कहना गलत है कि हरा चारा भी ला रहे थे। घटना से बुर्जी उत्तर दिशा में है। घटनास्थल से बुर्जी 2 किलोमीटर दूर है। उमेश गांव से भूसा लेने के लिए लगभग 4:00 बजे गए होंगे। घंटा भर पहुंचने में लगा होगा। बुर्जी से भूसा निकालने में 10-15 मिनट लगे होंगे। उमेश के बुर्जी से भूसा निकालने में लाने में व आने में कितना कितना समय लगा वह नहीं बता सकता। वह उस दिन परेशान था इसलिए घूमने घर से निकला था। क्योंकि परेशान हो जाता है आदमी तो घर से घूमने निकलता है। वह भी अपनी परेशानी के कारण घूमने के लिए निकला था वह गाली गुप्ता सुनकर ही घटनास्थल पर पहुंच गया था। उसने मुल्जिमानों से कहा क्या कर रहे हो उसने मुल्जिमानों को गाली गलौज के समय ही रोकने का प्रयास किया था। उसने मुंह से अवधेश व बृजेश दोनों को रोका था। उसे अवधेश व ब्रजेश ने नहीं मारा पीटा था। उसने झगड़े के बीच में हाथ से लाठी डंडों को रोकने का प्रयास किया था। फिर गवाह ने कहा उसके कोई लाठी वाठी नहीं लगी थी क्योंकि गाली गलौज के बाद ही वह इन लोगों से दूर हो गया था। घटना के समय सीमा और उमेश के सिर पर गठरियाँ रखी थीं। डंडे गठरियों में लगे थे। घटना के समय सीमा पीले रंग की धोती पहनी थी। मारपीट में लगभग 15 मिनट का समय लगा था। शोर सुनकर गांव के सभी लोग आ गए थे। घटना के बाद उमेश व सीमा 112 एंबुलेंस से गांव से अस्पताल गए थे। एंबुलेंस किसने बुलाई थी यह उसे याद नहीं है लेकिन गांव के किसी आदमी ने फोन किया होगा। एंबुलेंस 10-15 मिनट में घटना स्थल पर आ गई थी। एंबुलेंस में भाई उमेश व भाभी सीमा

के साथ बैठकर नहीं गया था। एंबुलेंस में मोहल्ले की काफी लोग बैठ गए थे। उसे नहीं पता घटना स्थल से एंबुलेंस थाने गई या अस्पताल गई क्योंकि वह अपने मवेशी देखने के लिए चला गया था। घटना के 10-12 दिन बाद दरोगा जी गांव में आए थे। दोपहर के टाइम आए थे। उसने दरोगा जी को घटनास्थल वाली पुलिया दिखाई थी उसने दरोगा जी को घटनास्थल के दाएं-बाएं सारी चीज दिखा दी थी। उसके बताए अनुसार दरोगा जी ने नक्शा बनाया था। उसने दरोगा जी को अपने बयानों में यह बता दिया था कि एंबुलेंस गांव आई थी। एंबुलेंस में सीमा व उमेश गए थे। दरोगा जी ने अगर यह बात नहीं लिखी तो वह इसकी वजह नहीं बता सकता। दरोगा जी को उसने यह बात भी बताई थी कि उमेश व उसकी पत्नी बुर्जी से भूसा ला रहे थे। अगर यह बात दरोगा जी ने अपने बयानों में नहीं लिखा तो वह वजह नहीं बता सकता। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह बात सही बताई है कि चीखपुकार की आवाज सुनकर वह, अंजू व अनीता मौके पर आ गए थे। जब गांव में चिल्ली पड़ रही थी तभी वह वहां पहुंच गया था। घटनास्थल पर काफी खून गिर गया था। खून की डल्की बन गई थी। घटनास्थल वाली सड़क आर.सी.सी की थी। खून आरसीसी पर गिरा था । दरोगा जी को वह घटनास्थल पर खून नहीं दिखा पाया था क्योंकि काफी दिन हो गए थे। यह कहना गलत है कि उसने दरोगा जी को घटना वाली जगह न दिखाई हो। अभियुक्त अवधेश की पत्नी का नाम उषा देवी है। उषा देवी के घर में दिनांक 14.12.19 को उमेश, योगेश, सुनील ने घर में घुसकर मारपीट की हो व बृजेश को मारा पीटा हो या घटना शाम 5:00 बजे की हो यह घटना उसने नहीं देखी वह उस घटना के समय नहीं था इसलिए उस घटना का गवाह नहीं बना। यह कहना गलत है भाई के कारण झूठी गवाही देने आया है। यह कहना भी गलत है कि वह न तो घटनास्थल पर था न उसके द्वारा कोई घटना देखी गयी हो। सीमा देवी गांव में 15 दिन बाद लौट कर आई थी। फिर

वह भाभी को देखने के लिए गया था। क्योंकि बाद में उसके व उमेश के संबंध मधुर हो गए। यह कहना गलत है कि इसी मधुरता के कारण आज वह न्यायालय में गवाही देने आया है।"

15. अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी **पी०डब्ल्यू०-04 एच०एम० रामेश्वर प्रसाद** को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि " वह सन् 2019 में थाना अवागढ पर एच एम के पद पर तैनात था। वादी उमेश कुमार पुत्र राजपाल सिंह द्वारा दी गयी टाइप शुदा तहरीर को उसने पढ़ा तथा तहरीर का खुलासा दि० 15.12.2019 को समय 10.24 बजे जी डी नं० 24 पर कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा कराया। उसके द्वारा तैयार कराई गयी कम्प्यूटर जी डी की कापी पत्रा० पर 6अ/02 है, इस पर प्रदर्श क-02 डाला गया तथा दि० 15.12.2019 को समय 10.24 बजे तहरीर के आधार पर शब्द व शब्द बोल बोल कर कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा अ०सं० 300/19 धारा 308, 504, भ०द०स० बनाम अवधेश कुमार आदि की चिक किता कराई उसके द्वारा किता कराई गयी कम्प्यूटराइज्ड चिक की कापी पत्रा० पर का०सं० 4अ/1 लगायत 2 है जिस पर तत्कालीन प्र०नि० थाना अवागढ़ के हस्ताक्षर हैं जिस पर प्रदर्श क-03 डाला गया। इस संबंध में विवेचक ने उससे पूछताछ कर उसके बयान अंकित किये थे।"

16. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने कहा है कि "इस मुकदमें से पूर्व कोई संज्ञेय अपराध पंजीकृत हुआ या नहीं उसे याद नहीं है। दि० 14.12.2019 को वादी थाने आया या नहीं, यह मेरी जानकारी मे नहीं है। दि० 14.12.2019 को उसके द्वारा वादिया को नहीं देखा गया था। दि० 15.12.2019 को वादी उमेश कुमार थाने आया था उसके साथ 2-3 गवाह थे, जिसमें एक महिला व दो पुरुष थे। इन व्यक्तियों के नाम उसे याद नहीं। किस वाहन से आये उसे याद नहीं, लेकिन थाने के अंदर पैदल आये थे। उसके द्वारा चुटैलों की कोई मजरूबी चिट्ठी जारी नहीं की गयी थी। दि० 14.12.2019 को चुटैल

या वादी किस वाहन से व किस हालत में आये, ये उसकी जानकारी में नहीं है। दि० 15.12.2019 को उसने वादी के साथ कोई आरक्षी मेडिकल हेतु नहीं भेजा था। उसने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद वादी को द्वितीय प्रति दी थी। यह कहना गलत है कि उसने द्वितीय प्रति न दी हो। वादी का दि० 15.12.2019 को बयान थाने पर लिया या नहीं उसे जानकारी नहीं है। का०सं० 6अ/2 प्रदर्श क-2 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है व थाना प्रभारी के हस्ताक्षर नहीं है और न ही कोई थाने की मौहर लगी है। प्रदर्श क-02 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। उसने मुकदमा पंजीकृत के दौरान वादी के शरीर की चोटों का अवलोकन नहीं किया। यह कहना गलत है कि वादी के दवाब में आकर झूठा मुकदमा पंजीकृत किया हो। यह कहना गलत है कि सरकारी कर्मचारी होने कारण कार्य गुजारी दिखाने की गरज से झूठी गवाही दे रहा है।"

17. अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी **पी०डब्ल्यू०-05 डॉ० संजीव कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "वह दिनांक 14.12.19 को एस एन मेडिकल कालेज आगरा में आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन समय 9.55 PM पर चुटैल सीमा का चिकित्सीय परीक्षण किया था। उसको लेकर उसका पति उमेश लेकर आया था। चुटैल को चोट न० 1-LW Size 6.5*.5 cm * Scalp Deep सिर के बाँये हाथ की तरफ कान से 5 cm ऊपर थी। चुटैल को चोट न० 2 दाये कन्धे पर चोट की स्वेलिंग थी। जिसका आकार 5cm*2.5 cm था। चुटैल को चोट न० 3 सीधी भुजा पर चोट की स्वेलिंग थी जिसका आकार 4.5 cm * 3.5 cm थी। चुटैल ने सीने पर और पीठ पर दर्द की शिकायत की थी। चुटैल की भर्ती के समय स्थिति पुअर थी। इसकी धड़कन 110pm थी सांस की गति 20pm थी और उसका बी पी 110/70 mmhg था। चुटैल सर्जरी विभाग में भर्ती की गई थी। MOIC एवं पुलिस को सूचना दे दी गई थी। चुटैल की अन्य जानकारी BHT में थी। चुटैल को सीने का Xray, सीधे

कन्धे का Xray, सीधी भुजा का Xray और कमर का Xray व NCCT head की सलाह दी गई थी। उपयुक्त सभी चोटें हार्ड एण्ड ब्लंट Object की थी। चोटें सभी ताजा थी। उसकी सभी चोटें KUO (निगरानी) में थी। पत्रावली पर कागज संख्या 8 अ/4 उसके हस्तलेख में सलंगन है जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया। इसी चुटैल की पूरक रिपोर्ट उसके द्वारा दिनाँक 12.02.20 को तैयार की गई थी। उपरोक्त चुटैल के एडवाईज किये गये सभी एक्सरे मे कोई हड्डी टूटी नहीं पाई गई थी। NCCT head मे कोई फ्रैक्चर नहीं था। सिर के ऊपरी हिस्से में सूजन पाई गई थी। उसकी राय में एक्सरे और सीटी स्कैन की रिपोर्ट के आधार पर जो चोटें जेरे निगरानी रखी गई थीं। वह साधारण प्रकृति की है। पत्रावली पर कागज संख्या 8 अ/5 उसके हस्तलेख में है जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया। व कागज संख्या 8 अ/6 रिपोर्ट उसके द्वारा सीन की गई थी जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया।"

18. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि "चुटैल सीमा को एटा जिला अस्तपताल से रेफर किया गया था। रेफर स्लिप पत्रावली पर मौजूद नहीं है। विवेचक ने उसका बयान लिया था। विवेचक को रेफर स्लिप उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई थी या नहीं उसे याद नहीं है। चुटैल को किस वाहन से लाया गया था वह नहीं बता सकता। चुटैल की BHT पत्रावली पर नहीं है। इसलिए वह इलाज के सम्बन्ध में राय नहीं दे सकता। इलाज के सम्बन्ध में इलाज वाले डाक्टर ही बता सकते हैं। चुटैल उसके सामने जब लाई गई थी तब वह होश में थी बेहोश नहीं थी। प्रदर्श क-4 मेडिकल रिपोर्ट पत्रावली पर फोटो प्रति है। जो सीएमओ डयूटी पर रहे थे उनके द्वारा प्रमाणित है। उसके सामने प्रमाणित नहीं है। मूल उसके सामने आज नहीं है। पूरक रिपोर्ट पत्रावली पर फोटोस्टेट है जो उसके द्वारा प्रमाणित की गई थी। लेकिन मूल आज उसके सामने न तो पत्रावली पर है न न्यायालय में हैं। प्रदर्श क-6 NCCT रिपोर्ट है जो उसके द्वारा तैयार नहीं की

गई इस रिपोर्ट के अनुसार चुटैल के सिर की कोई भी हड्डी टूटी नहीं पाई गई। यह चोट जीवन के लिए घातक नहीं थी साधारण प्रकृति की थी। प्रदर्श क 4 में चोटें उसके द्वारा अवलोकन की गई थी। व चुटैल से वार्ता होने के पश्चात उसने उसके छाती व पीठ के दर्द को अंकित किया। चूंकि चुटैल की आयु 34 वर्ष थी इस कारण ब्लड प्रेशर सामान्य से कम था। यह सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। जो जीवन के लिए घातक नहीं थी। इस चुटैल को कितने दिन बाद डिस्चार्ज किया गया था वह BHT देखने के बाद ही अपनी राय दे सकता है। उसने विवेचक को दिये गये बयान में बताया था कि चुटैल के शरीर में कोई हड्डी टूटी नहीं है और चोट जीवन के लिए घातक नहीं है। ये चोटें परीक्षण से 6 से 8 घण्टे पूर्व आई होगीं। धारदार हथियार की कोई चोट नहीं थी। यह कहना गलत है कि उसने वादी पक्ष से मिलकर गलत चिकित्सीय आख्या तैयार की हो और आज न्यायालय में सही बात बता रहा है। यह बात सही है कि चोटें साधारण थी जो जीवन के लिए घातक नहीं थी।"

19. अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी **पी०डब्ल्यू०-06 से०नि० डॉ० वी०पी० सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 19.12.2019 को वह रेडियोलॉजिस्ट के पद पर जिला अस्पताल एटा में तैनात था। उक्त दिनांक को उमेश पुत्र राजपाल सिंह उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी बसुन्धरा, थाना अवागढ़ जिला एटा का एक्सरे अपनी देख रेख में खींचवाकर एक्सरे रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार की गयी थी। मरीज को आकस्मिक चिकित्साधिकारी एटा द्वारा संदर्भित किया गया था। उमेश के बाँये कंधा एवं स्कैपुला एवं दूसरा एक्सरे दाहिने हाथ का होना था। एक्सरे के आधार पर उसने रिपोर्ट तैयार की थी। जिसमें संभावित फ्रैक्चर लेफ्ट क्रैरिकल का बाहरी हिस्सा का था। इस फ्रैक्चर को कन्फर्म होने के लिए जेएनएमसी अलीगढ़/एस.एन. मेडिकल कालेज आगरा भेजा गया। दूसरा एक्सरे दाहिने

हाथ का जिसमें पाँचवी मेटाकार्पल के हेड पर फ्रैक्चर पाया गया। एक्सरे रिपोर्ट पत्रावली पर कागज संख्या 8अ/1 उसके लेख व हस्ताक्षर में मौजूद है। जिस पर मजरूब का निशानी अंगूठा लगा हुआ है। उसके द्वारा प्रमाणित है। जिस पर प्रदर्श क 7 डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था।"

20. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि "चुटैल उमेश कुमार को वह व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। इस चुटैल को कोई पुलिस वाला उसके सामने लेकर नहीं आया था। आज चुटैल उसके सामने नहीं है। चुटैल के न होने के कारण एम.आइ. का मिलान नहीं हो सकता है। इस चुटैल से संबंधित रेफर स्लिप पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इस चुटैल का एक्सरे दिनांक 19.12.2019 को जिला अस्पताल एटा में उसकी देखरेख में हुआ था। चुटैल की किसी भी चोट का कोई प्लास्टर नहीं हो रहा था। चुटैल के चोट कितने समय पूर्व आयी होगी इस संबंध में वह अपनी राय नहीं दे सकता। पहला एक्सरे उसने लेफ्ट सोल्डर विध स्कैपला किया था। यह फ्रैक्चर उसके द्वारा सस्पेक्टेड लिखा हुआ है। चूंकि एक्सरे में फ्रैक्चर स्पष्ट नहीं आता है इसलिए वे डिजिटल एक्सरे के लिए सलाह देते हैं। इस मामले में कोई डिजिटल एक्सरे उसके सामने आया या नहीं आज उसे ध्यान नहीं है। पत्रावली पर जिला अस्पताल एटा की एक्सरे प्लेट नहीं है। जो चुटैल के सीधे हाथ की अंगुली में चोट आना बताया जा रहा है यह आम चोट है जो गिरने से भी आ सकती है। बहादुर व्यक्ति हो तो वह अपनी चोट हड्डी तोडकर भी बना सकता है। यह दोनों ही चोटें जीवन के लिए घातक नहीं थी। इस अंगुली वाली चोट में एक्सरे के दौरान कैल्शियम नहीं पाया गया है। इस चोट में साफ्ट कैलस भी नहीं बना था। आमतौर पर साफ्ट कैलस सात दिन से पन्द्रह दिन के मध्य बनना प्रारंभ होता है। इस चुटैल की आयु करीब 34 वर्ष अंकित है। इस कारण कैलस दस से पन्द्रह दिन में बनना प्रारंभ हो जाता है। यह

कहना गलत है कि उसने चुटैल से मिलकर गलत रिपोर्ट तैयार की हो। यह कहना भी गलत है कि वह आज न्यायालय में सही बयान नहीं दे रहा है।"

21. अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी **पी०डब्ल्यू०-07 डॉ० राहुल वार्ष्णेय को परीक्षित कराया गया है, जिन्होने कथन** किया है कि "दिनांक को मजरूब उमेश उम्र 34 वर्ष पुत्र राजपाल सिंह निवासी वसुंधरा थाना अवागढ़ एटा स्वयं अपनी चोटों का परीक्षण कराने आया था जिसका पहचान चिन्ह काले तिल का निशान बाएं कंधे पर ऊपर मौजूद था। यह परीक्षण उसने 18/12/2019 को 1:40 PM पर प्रारंभ किया था।

मजरूब के शरीर पर निम्न चोटें मौजूद थीं-

CTS of size 10cmX8cm top of left shoulder with scapula shape oval injury KUO. X-ray left shoulder with scapula AP/lateral.Scaped abrated CTS of size 15cmx10cm dorsum of right hand shape oval injury KUO. X-ray right hand AP/lateral.All injury are KUO duration about 4 days. ये चोटें hard blunt object से आना संभव हैं।

यह परीक्षण उसने 18/12/2019 को 1:50 PM पर खत्म किया। मेडिकल मुआयना की असल प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 8 अ/2 उसके लेख व हस्ताक्षर में मौजूद है जिस पर मजरूब का निशानी अंगूठा लगा है जो उसके द्वारा प्रमाणित है। जिस पर प्रदर्श क-8 डाला गया।"

22. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि "पीड़ित उमेश स्वयं अपने चोटों का परीक्षण कराने आए थे। कोई पुलिस की मजरूबी चिट्टी नहीं आई थी और कोई पुलिस वाला साथ नहीं आया था। चोटें कैसे आई उसने पूछा होगा लेकिन उसे याद नहीं है। यह पूछने वाली बात उसने मेडिकल रिपोर्ट में नहीं लिखी है लेकिन ये रिपोर्ट मेडिको लीगल थी जोकि मजरूब द्वारा बताया गया था कि यह लड़ाई में आई चोटें है। लड़ाई में आई चोटों का इंद्राज उसने वाक्य में नहीं लिखा है लेकिन चोट प्रपत्र पर

M.L. इंजरी चोटें पड़ी हुई हैं। जब कोई व्यक्ति सीधे अपना मेडिकल कराने आता है तो उसकी फीस जमा होती है इसका उल्लेख प्रपत्र में नहीं किया जाता। फीस 70 रुपये जमा होती है जिसकी रशीद मजरूब या उसके साथ जो हो उसे दी जाती है। कंट्यूशन का 4 दिन में कलर बदल जाता है पुरानी व नई चोट में कलर का अंतर होता है। उसने कलर का जिक्र मेडिकल रिपोर्ट में नहीं किया है। चोट नं 2 पर खुरंट था जिससे उस चोट की अवधि दी गई है। उसने दोनो चोटे अंडर आब्ज़र्वेशन रखी थी। इसकी कोई सप्लीमेंटरी रिपोर्ट उसके द्वारा तैयार नहीं की गई है। LTI अटेस्ट लिखा जाता है किसका है उसका नाम नहीं लिखा जाता है। यह कहना गलत है कि मजरूब के कोई चोटें न आई हों और उसने उससे मिलकर झूठी रिपोर्ट तैयार की हो। यह कहना भी गलत है कि वह आज झूठा बयान दे रहा है।"

23. अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर साक्षी **पी०डब्ल्यू०-08 कॉ० अनूप कुमार** को परीक्षित कराया गया है, जिनके द्वारा कथन किया गया है कि "दिनांक 27/01/2019 से 01/02/2024 तक वह थाना अवागढ़ पर कांस्टेबल के पद पर तैनात रहा है। वर्ष 2019 में उपनिरीक्षक सियाराम उसके साथ थाने पर ही तैनात थे जिनको उसने लिखते-पढ़ते देखा है और उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को भली-भाँति पहचानता है। उक्त मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक सियाराम द्वारा की गई थी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली पर मौजूद नक्शा-नजरी कागज संख्या 7अ को देखकर साक्षी ने कहा कि यह नक्शा नजरी उपनिरीक्षक सियाराम के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श क-9 अंकित किया गया। उपरोक्त मुकदमे का आरोप पत्र उपनिरीक्षक सियाराम द्वारा दाखिल किया गया। आरोप पत्र पत्रावली पर कागज संख्या 3 अ/1 लगायत 3 अ/3 के रूप में मौजूद है। आरोप पत्र पर मौजूद हस्ताक्षर को देखकर गवाह ने कहा कि यह हस्ताक्षर उपनिरीक्षक सियाराम के हैं गवाह ने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। आरोप पत्र पर प्रदर्श क-10 अंकित किया गया।"

24. बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी ने जिरह में कथन किया कि "इस केस की विवेचना उपनिरीक्षक सियाराम ने की है। इस केस की विवेचना में वह उनके साथ कहीं भी नहीं गया। उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने इस केस की विवेचना सही की या नहीं की और उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि उन्होंने किसी गवाह के बयान लिए या खुद लिख लिये। घटनास्थल विवेचक ने वादी की निशानदेही पर बनाया था। इस नक्शे मे कोई भी दिशा सूचक अंकित नहीं है। वादी व वादी की पत्नी किधर से आ रहे थे यह भी नक्शा-नजरी में नहीं दिखाया है। विवेचक ने नक्शा नजरी में यह भी कहीं नहीं दर्शाया कि मुल्जिमान कहाँ पर घात लगाए हुए बैठे थे। वह न्यायालय में मात्र यह साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हुआ है कि नक्शा-नजरी व आरोप पत्र विवेचक के हस्ताक्षर में है। इसके अलावा उसका तथ्यों के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। यह कहना गलत है कि वह विवेचक सियाराम के साथ कभी तैनात न रहा हो।"

25. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया है। मुकदमा रंजिशन तथा पुलिस से मिलकर गलत लिखाना बताया गया है तथा झूठी मेडिकल कराया जाना बताया गया। साक्षीगण द्वारा दिये गये बयान को गलत बताया गया। सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया।

26. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि पी. डब्लू.-1 उमेश कुमार तथा पी. डब्लू.-2 सीमा, जो स्वयं घटना में गंभीर रूप से चुटैल हुए हैं, के साक्ष्य अत्यंत विश्वसनीय हैं और उनकी उपस्थिति घटनास्थल पर निर्विवाद है। चक्षुदर्शी साक्षी पी. डब्लू.-3 जयवीर ने भी अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है। पी. डब्लू.-5, पी. डब्लू.-6 व पी. डब्लू.-7 के रूप में

परीक्षित चिकित्सा अधिकारियों के साक्ष्य एवं प्रस्तुत चिकित्सीय प्रपत्रों (प्रदर्श क-4 से क-8) से स्पष्ट है कि वादी एवं उसकी पत्नी को गंभीर चोटें कारित की गईं। अभियोजन का यह स्पष्ट कथन है कि अभियुक्त अवधेश ने फरसे से प्रहार कर सीमा के सिर पर चोट पहुंचाई, जो इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि यह कार्य मृत्यु कारित करने के ज्ञान व आशय से किया गया था।

27. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Sudha Renukaiah v. State of Andhra Pradesh, AIR 2017 SC 2124 में यह अवधारित किया है कि यदि चुटैल साक्षी का साक्ष्य अन्य चक्षुदर्शी साक्षियों और चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्ट होता है, तो उसका साक्ष्य विश्वसनीय माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, चिकित्सीय साक्ष्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Fahad v. State of U. P., 2018 (6) ALJ 737 में यह स्थापित किया गया है कि चिकित्सीय प्रपत्र न्यायालय को घटना घटित होने के तरीके और सुसंगत दाण्डिक प्रावधानों को लागू करने के संबंध में राय बनाने में सहायता करते हैं। साक्षीगण के आपस में रिश्तेदार होने के आधार पर उनके साक्ष्य को नकारे जाने के बचाव पक्ष के कथनों का खंडन करते हुए **अभियोजन ने विधि व्यवस्था** Chunni Lal v. State of U. P., AIR 2010 SC **2467 का संदर्भ दिया है,** जिसमें यह विधिक सिद्धांत प्रतिपादित है कि यदि रिश्तेदार साक्षी घटनास्थल पर स्वाभाविक रूप से उपस्थित थे और उनका साक्ष्य विश्वसनीय है, तो केवल रिश्तेदारी के आधार पर उसे क्षीण नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही,साक्षियों के कथनों में आई किंचित विसंगतियों के संबंध में विधि व्यवस्था State of U. P v. Krishna Master and Ors., 2010 AIR SCW 4733 का संदर्भ देते हुए तर्क किया गया कि मौखिक साक्ष्य में सामान्यतः छोटी-मोटी विसंगतियां आ जाती हैं और जब तक वे मामले की मूल प्रकृति को प्रभावित न करें, साक्ष्य को संदेहास्पद नहीं बनाया जा सकता।

अतः अभियुक्तगण को उनके द्वारा कारित अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित है।

28. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन कथानक का प्रखरता से विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि यह संपूर्ण मामला रंजिशन और मिथ्या है। बचाव पक्ष का कथन है कि दोनों पक्षों के मध्य दीवानी न्यायालय में भूमि विवाद लंबित है और वादी पक्ष ने अभियुक्त अवधेश की पत्नी उषा देवी द्वारा दर्ज कराए गए पूर्ववर्ती मुकदमे (अपराध संख्या 16/2020) के दबाव में यह कूटरचित कथानक तैयार किया है। बचाव पक्ष ने ध्यान आकृष्ट किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के अगले दिन विलंब से दर्ज कराई गई है और इस विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण वादी द्वारा नहीं दिया गया है। घटनास्थल और घटना के तरीके के संबंध में वादी (पी. डब्लू.-1), उसकी पत्नी (पी. डब्लू.-2) और जयवीर (पी. डब्लू.-3) के कथनों में गंभीर विरोधाभास हैं। बचाव पक्ष ने जोर दिया कि पुलिस ने घटनास्थल से रक्त रंजित मिट्टी या कपड़े जैसे कोई भी महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य (प्रपत्र/वस्तु) कब्जे में नहीं लिए, जो संपूर्ण घटना को संदेहास्पद बनाता है।

29. बचाव पक्ष ने माननीय न्यायालय का ध्यान विधि व्यवस्था Jaikaran v. State of U. P., 2018 (4) ALJ 529 की ओर आकृष्ट किया,जिसमें माननीय न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि घटना के तरीके के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में विरोधाभास उनकी उपस्थिति को संदेहास्पद बनाता है तथा उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय कर देता है। इसी निर्णय के क्रम में बचाव पक्ष ने यह भी तर्क किया कि यदि चक्षुदर्शी साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास हो, जिससे घटना की उत्पत्ति पर संदेह उत्पन्न होता हो, तो इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष ने विधि व्यवस्था State of M.P. v. Virendra Singh alias Chhote Raja, 2019 Cri L J (NOC) 98 (MP) का संदर्भ देते हुए यह

तर्क स्थापित किया कि अभियुक्त के साथ पूर्व रंजिश रखने वाले साक्षी के साक्ष्य पर, बिना किसी स्वतंत्र संपुष्टि के, दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें मिथ्या आरोपण की संभावना निहित होती है। अतः, अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है और अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

30. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष के कथानक के आरंभिक बिंदु के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण एवं उसमें हुए विलंब का गहनता से विश्लेषण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार घटना दिनांक 14.12.2019 को सायं लगभग 5:00 बजे की है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.12.2019 को प्रातः 10:24 बजे थाना अवागढ़ पर पंजीकृत कराई गई है। इस प्रकार घटना एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के मध्य लगभग 17 घंटे का विलंब परिलक्षित होता है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस विलंब को अभियोजन कथानक के विरुद्ध एक अत्यंत गंभीर एवं संदेहास्पद परिस्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा यह तर्क किया गया है कि यह विलंब प्रथम सूचना रिपोर्ट को विचार-विमर्श एवं पूर्व-नियोजित षड्यंत्र के पश्चात दर्ज कराए जाने का स्पष्ट प्रमाण है। तथापि, न्यायालय को इस विलंब का मूल्यांकन मामले की समग्र परिस्थितियों एवं मानव स्वभाव के स्वाभाविक परिप्रेक्ष्य में करना होता है। पी. डब्लू.-1 उमेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा तथा जिरह में अत्यंत स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि घटना के पश्चात उसकी पत्नी सीमा (पी. डब्लू.-2) के सिर पर फरसे का प्रहार होने के कारण वह गंभीर रूप से चुटैल होकर अचेत हो गई थी। पी. डब्लू.-1 ने यह कथन किया है कि "वह अपनी पत्नी को लेकर पहले थाने गया वहां से सिपाही के साथ जिला चिकित्सालय आया। जिला चिकित्सालय से गंभीर हालत देखते हुए आगरा रेफर कर दिया गया।" किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए, जब उसकी पत्नी मरणासन्न स्थिति में

अचेत अवस्था में हो, तो उसकी प्रथम और सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी पत्नी के प्राणों की रक्षा करना तथा उसे तत्काल सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध कराना होती है, न कि थाने में बैठकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की औपचारिकताएं पूर्ण करना। पी. डब्लू.-1 के कथनानुसार वह अपनी अचेत पत्नी को लेकर रात्रि में ही आगरा चिकित्सालय पहुंचा और जब अगले दिन प्रातः 4:00 बजे उसकी पत्नी को होश आया और उसकी स्थिति कुछ स्थिर हुई, तत्पश्चात वह आगरा से वापस अवागढ़ थाने आया और उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। यह आचरण पूर्णतः स्वाभाविक और तर्कसंगत है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में हुए विलंब का संतोषजनक और युक्तिसंगत स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो केवल विलंब के आधार पर संपूर्ण अभियोजन कथानक को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Harbans Kaur and Anr v. State of Haryana, 2005 AIR SCW 2074, में यह अवधारित किया है कि "Even a long delay in lodging FIR can be condoned if witnesses have no motive of implicating accused and have given plausible reason for delay." इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Ravinder Kumar and another v. State of Punjab, 2001 AIR SCW 3366, में यह अवधारित किया है कि "When there is criticism on ground that FIR in a case was delayed, Court has to look at reason why there was such a delay. Instances causing delay has to be looked into. If causes are not attributable to any effort to concoct a version, mere delay cannot be ground to treat FIR vitiated." प्रस्तुत मामले में, पी. डब्लू.-2 की गंभीर स्थिति एवं उसे आगरा तक ले जाने की विवशता के कारण हुआ विलंब पूर्णतः स्पष्ट एवं युक्तिसंगत है। अतः यह विलंब अभियोजन पक्ष के मामले को किसी भी प्रकार से क्षीण या संदेहास्पद नहीं बनाता है।

31. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों का समग्र एवं साक्ष्यानुसार मूल्यांकन किया जाना न्यायनिर्णयन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। अभियोजन ने अपने कथानक को सिद्ध करने हेतु कुल आठ साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिनमें पी.डब्लू.-1 उमेश कुमार(वादी एवं चुटैल),पी.डब्लू.-2 सीमा(गंभीर रूप से चुटैल) तथा पी.डब्लू.-3 जयवीर (चक्षुदर्शी साक्षी) अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।

32. पी. डब्लू.-1 उमेश कुमार,जो इस घटना का वादी एवं स्वयं एक चुटैल साक्षी है, ने अपने साक्ष्य में घटना का सुसंगत विवरण प्रस्तुत किया है। उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि "घटना दिनांक 14.12.2019 समय करीब शाम 5:00 की है। वह अपनी पत्नी सीमा के साथ खेत से चारा लेकर अपने घर आ रहा था कि पिपेरा रोड पुलिया के पास पहले से घात लगाए बैठे अवधेश कुमार, बृजेश कुमार, धर्मेंद्र उर्फ करुआ पुत्रगण श्री राम निवासी नगला सेवा थाना निधौली कला एक राय होकर गाली गलौज देने लगे।" उसने अभियुक्तगण के हाथों में मौजूद आयुधों का स्पष्ट वर्णन किया है तथा यह भी कथन किया है कि "अवधेश कुमार ने उसकी पत्नी के सिर पर फरसा से हमला किया जिससे उसकी पत्नी गंभीर रूप से चुटैल हो गई तथा उसके भी काफी चोटें आईं।" बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से अत्यंत विस्तृत एवं लंबी जिरह की गई। जिरह के दौरान बचाव पक्ष ने साक्षी से खेत की दूरी, दिशाओं का ज्ञान, चारे और भूसे का वजन, गठरी का आकार आदि अत्यंत सूक्ष्म और अप्रासंगिक प्रश्न पूछे। पी. डब्लू.-1 एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का साक्षी है, जिसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह मात्र कक्षा 5 तक पढ़ा है और उसे दिशाओं (पूरब, पश्चिम) का वैज्ञानिक या सटीक ज्ञान नहीं है। इसके बावजूद उसने यह कथन किया है कि "उसने पुरुष होकर 10 किलो की गठरी रखा और पत्नी महिला ने 35 किलो की गठरी रखी थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी।" यह एक अत्यंत स्वाभाविक ग्रामीण परिवेश का चित्रण है। बचाव

पक्ष ने यह तर्क स्थापित करने का प्रयास किया कि चूँकि पी. डब्लू.-1 और पी. डब्लू.-3 आपस में रिश्तेदार हैं, अतः उनका साक्ष्य पक्षपातपूर्ण है। परंतु विधि का यह सिद्धांत सुस्थिर है कि केवल रिश्तेदारी के आधार पर किसी साक्षी के साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यदि उसका साक्ष्य अन्यथा विश्वसनीय हो। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Chunni Lal v. State of U. P., AIR 2010 SC 2467, में यह अवधारित किया है कि "Where interested witnesses were sons of deceased and were present at place of occurrence in usual and natural manner and have given a vivid account of incident and manner in which it occurred and their evidence could not be shaken by defence in cross-examination, no reason to discard their evidence merely because they were closely related to deceased." पी. डब्लू.-1 की उपस्थिति घटनास्थल पर पूर्णतः स्वाभाविक थी क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ कृषि कार्य (चारा लाना) करके लौट रहा था। बचाव पक्ष की जिरह पी. डब्लू.-1 के साक्ष्य की मूल सत्यता को भेदने में पूर्णतः विफल रही है।

33. पी. डब्लू.-2 सीमा, जो इस मामले की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं गंभीर रूप से चुटैल साक्षी है, का साक्ष्य अत्यंत विश्वसनीय है। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन करते हुए यह कथन किया है कि "अवधेश के हाथ में फर्सा था। बृजेश कुमार के हाथ में तमंचा था और करू के हाथ में लाठी था। उपरोक्त लोगों ने हम लोगों को देखकर उसके पति को घेर लिया। उन्होने उसके पति को मारना पीटना शुरू कर दिया...उसके फर्सा अवधेश ने मारा था, जो उसके सिर पर लगा था। वह फर्सा लगने के बाद तुरन्त गिर गयी, उसके बाद उसे होश नहीं रहा था।" यह कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट और पी. डब्लू.-1 के साक्ष्य से अक्षरशः मेल खाता है। बचाव पक्ष द्वारा पी. डब्लू.-2 से भी दिशाओं, दूरी, और समय के बारे में जटिल जिरह की गई, जिसका उसने एक

ग्रामीण महिला के रूप में अपनी समझ के अनुसार सीधा उत्तर दिया कि "वह दिशाओं का ज्ञान नहीं रखती है। सूरज किधर उगता है और किधर डूबता है, यह वह नहीं बता सकती है।" यह उसकी सत्यवादिता का प्रमाण है। एक देहाती और अशिक्षित महिला से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह समय, दूरी और दिशाओं का सटीक गणितीय विवरण दे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था State of U. P v. Krishna Master and Ors., 2010 AIR SCW 4733,में यह अवधारित किया गया है कि "Rustic witness - Evidence of to be read keeping their background in mind... Discrepancies normally exist in oral evidence. They are due to errors of observation, mental disposition, shock and horror at time of incident. Unless they go to root of matter such discrepancies do not make evidence unreliable." पी. डब्लू.-2 को स्वयं सिर पर फरसे का प्रहार लगा था, जिसके कारण वह अचेत हो गई थी। एक चुटैल साक्षी सामान्यतः उस व्यक्ति को नहीं छोड़ता जिसने उसे वास्तविक रूप से चोट पहुंचाई हो, और न ही वह किसी निर्दोष को मिथ्या फंसाता है। पी. डब्लू.-2 का साक्ष्य पी. डब्लू.-5 डॉ. संजीव कुमार के चिकित्सीय साक्ष्य से पूर्णतः संपुष्ट होता है, जिन्होंने उसके सिर के बायीं ओर कान से 5 सेमी ऊपर एक गहरा घाव (LW Size 6.5x.5 cm Scalp Deep) पाया था। अतः पी. डब्लू.-2 का साक्ष्य सर्वथा विश्वसनीय है।

34. पी.डब्लू.-3 जयवीर एक चक्षुदर्शी साक्षी है। उसने यह कथन किया है कि "चीख की आवाज सुनकर वह, संजू व अनीता भी मौके पर आ गये... अवधेश ने उमेश की पत्नी पर जान से मारने की नीयत से फरसे से वार किया जिससे उमेश की पत्नी सीमा गंभीर रूप से चुटैल हो गई।" बचाव पक्ष ने जिरह में यह स्थापित करने का प्रयास किया कि यह साक्षी हलवाई की दुकान पर काम करता है, अतः घटना के समय उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति संभव नहीं

थी। परंतु इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से जिरह में यह कथन किया है कि "घटना वाले दिन वह लाला के यहां नहीं गया था वह उस दिन घर पर था क्योंकि वह उस दिन हारा थका था... वह भी अपनी परेशानी के कारण घूमने के लिए निकला था वह गाली गुसा सुनकर ही घटनास्थल पर पहुंच गया था।" यह स्पष्टीकरण अत्यंत स्वाभाविक है। ग्रामीण परिवेश में जब कोई विवाद या चीख-पुकार होती है, तो आस-पड़ोस के लोगों का एकत्रित होना एक प्राकृतिक मानव आचरण है। यद्यपि वह वादी का रिश्तेदार है, परंतु उसकी उपस्थिति घटनास्थल पर अस्वाभाविक नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि उसका साक्ष्य अन्य स्वतंत्र या चिकित्सीय साक्षियों से मेल खाता है, तो उसे पूर्णतः स्वीकार किया जाना चाहिए।

35. अभियोजन पक्ष के समस्त साक्षियों एवं बचाव पक्ष द्वारा जिरह में उठाए गए बिंदुओं का समग्र एवं समेकित मूल्यांकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि घटना का मूल कथानक—अर्थात् पी. डब्लू.-1 और पी. डब्लू.-2 का चारा लेकर लौटना और अभियुक्तगण द्वारा उन पर हमला करना—अत्यंत सुदृढ़ और विश्वसनीय है। बचाव पक्ष ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु यह उठाया कि अभियुक्त अवधेश की पत्नी उषा देवी ने भी वादी पक्ष (उमेश, योगेश, सुनील) के विरुद्ध अपराध संख्या 16/2020 धारा 452,323,504,506 भा.दं.सं. दर्ज कराया था,जो उसी दिनांक 14.12.2019 को सायं 5:00 बजे की घटना के संबंध में था।

36. बचाव पक्ष का यह तर्क है कि वादी पक्ष ने उस मुकदमे से बचने के लिए यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। परंतु, यदि विधि के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो बचाव पक्ष का यह सुझाव स्वयं इस बात की पुष्टि करता है कि दिनांक 14.12.2019 को सायं 5 बजे दोनों पक्षों के मध्य एक विवाद और संघर्ष अवश्य हुआ था। दोनों पक्ष एक ही समय पर एक ही घटना को अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे "क्रॉस-केस" में न्यायालय का कर्तव्य यह

होता है कि वह साक्ष्यों का सूक्ष्मता से विश्लेषण कर यह निर्धारित करे कि वास्तविक आक्रामक कौन था और घटना का सत्य क्या है। प्रस्तुत मामले में, पी. डब्लू.-2 सीमा के सिर पर जो गंभीर घाव आया है और पी. डब्लू.-1 उमेश की उंगली और कंधे में जो फ्रैक्चर हुआ है, वह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वादी पक्ष को गंभीर चोटें पहुंचाई गईं। बचाव पक्ष इस बात का कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है कि पी. डब्लू.-2 के सिर पर इतनी गंभीर चोट कैसे आई। चिकित्सीय साक्ष्य और चक्षुदर्शी साक्ष्य दोनों एक-दूसरे की निर्विवाद रूप से पुष्टि करते हैं। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क कि यह मामला पूर्णतः मिथ्या है, साक्ष्यों के भार के समक्ष टिक नहीं पाता।

37. घटना की तिथि और समय के संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों का विश्लेषण करने पर यह पूर्णतः प्रमाणित होता है कि अपराध दिनांक 14.12.2019 को सायं लगभग 5:00 बजे कारित किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 में यही समय अंकित है। पी.डब्लू.-1 उमेश कुमार, पी. डब्लू.-2 सीमा, और पी.डब्लू.-3 जयवीर ने अपने कथनों में एक स्वर में घटना की तिथि 14.12.2019 और समय सायं 5:00 बजे का होना स्वीकार किया है। जिरह के दौरान भी वे इस समय पर अडिग रहे। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य पी. डब्लू.-5 डॉ. संजीव कुमार का है, जिन्होंने 14.12.2019 को ही रात्रि 9:55 बजे एस. एन. मेडिकल कॉलेज, आगरा में पी. डब्लू.-2 सीमा का आकस्मिक चिकित्सीय परीक्षण किया था। चिकित्सीय परीक्षण प्रपत्र प्रदर्श क-4 इस बात का स्पष्ट और वैज्ञानिक प्रमाण है कि घटना 14 दिसंबर की सायं को ही हुई थी, जिसके तुरंत बाद पी.डब्लू.-2 को एटा होते हुए आगरा ले जाया गया। पी. डब्लू.-5 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि "ये चोटें परीक्षण से 6 से 8 घण्टे पूर्व आई होगीं।" यदि रात्रि 9:55 बजे से 6 घंटे पीछे की गणना की जाए, तो समय सायं 4:00 बजे से 5:00 बजे के मध्य आता है, जो चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों से पूर्णतः वैज्ञानिक और विधिक रूप

से मेल खाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Sudha Renukaiah v. State of Andhra Pradesh, AIR 2017 SC 2124,में यह अवधारित किया गया है कि "When evidence of eye-witness corroborated by that of injured witness as well as medical evidence, absence of eye-witness on place of incident during investigation cannot be ground to discard testimony." अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि घटना की तिथि और समय पूर्णतः संदेह से परे सिद्ध है।

38. घटनास्थल के संबंध में साक्ष्यों का परिशीलन करने पर यह स्थापित होता है कि घटना पिपेरा (पिपेहरा) रोड की पुलिया के पास घटित हुई। पी. डब्लू.-1 ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-1 और न्यायालय में अपने कथन में यह स्पष्ट किया है कि जब वे खेत से लौट रहे थे, तब पिपेरा रोड पुलिया के पास घात लगाए बैठे अभियुक्तगण ने उन पर हमला किया। पी. डब्लू.-8 अन्वेषण अधिकारी ने भी वादी की निशानदेही पर उसी स्थान का निरीक्षण किया और नक्शा नजरी प्रदर्श क-9 तैयार किया। बचाव पक्ष ने जिरह में यह बिंदु उठाया कि घटनास्थल से रक्त रंजित मिट्टी पुलिस ने एकत्र नहीं की। यह सत्य है कि अन्वेषण अधिकारी ने रक्त रंजित मिट्टी एकत्र करने में लापरवाही बरती। पी. डब्लू.-1 ने यह कथन किया है कि "खून आरसीसी पर गिरा था। अन्वेषण अधिकारी को वह घटनास्थल पर खून नहीं दिखा पाया था क्योंकि काफी दिन हो गए थे।" आरसीसी (पक्की) सड़क पर खून का गिरना और बाद में पुलिस के विलंब से पहुंचने पर उसका धुल जाना या साफ हो जाना स्वाभाविक है। अन्वेषण अधिकारी की इस त्रुटि के कारण चक्षुदर्शी साक्षियों और चुटैल साक्षियों के ठोस साक्ष्य को अमान्य नहीं किया जा सकता। विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि अन्वेषण अधिकारी की किसी त्रुटि या विफलता का अनुचित लाभ अभियुक्त को नहीं दिया जा सकता, यदि साक्षियों का साक्ष्य

अन्यथा विश्वसनीय हो। अतः यह प्रमाणित है कि घटना पिपेरा रोड पुलिया के पास ही घटित हुई।

39. घटना के समय घटनास्थल पर अभियुक्तगण और वादी/चुटैल साक्षियों की उपस्थिति के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्यों का विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि दोनों पक्ष आमने-सामने उपस्थित थे। घटना दिसंबर माह की सायं 5 बजे की है। उस समय पर्याप्त दिन का प्रकाश होता है जिससे परिचित व्यक्तियों को आसानी से पहचाना जा सकता है। पी. डब्लू.-1 और पी. डब्लू.-2 ने अभियुक्तगण अवधेश और बृजेश को स्पष्ट रूप से पहचाना है क्योंकि वे एक ही गांव के निवासी हैं और उनके मध्य पहले से ही दीवानी न्यायालय में भूमि विवाद चल रहा था। पी. डब्लू.-2 सीमा को जो गंभीर चोटें आई हैं, वे स्वयं उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण हैं। एक चुटैल व्यक्ति की उपस्थिति और उसके द्वारा अपने हमलावरों की पहचान को विधि में अत्यधिक महत्व दिया जाता है। बचाव पक्ष का अपना यह सुझाव कि उसी दिनांक और समय पर अभियुक्त अवधेश की पत्नी उषा देवी के साथ वादी पक्ष ने मारपीट की थी, यह सिद्ध करता है कि दोनों पक्ष उसी समय एक-दूसरे के संपर्क में आए थे और उनके मध्य संघर्ष हुआ था। अतः घटनास्थल पर पी. डब्लू.-1,पी.डब्लू.-2 और अभियुक्तगण अवधेश एवं बृजेश की उपस्थिति पूर्णतः प्रमाणित और संदेहरहित है।

40. आयुधों या घटना से संबंधित किसी अन्य सामग्री की बरामदगी के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फरसा, तमंचा या लाठी बरामद नहीं की गई है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने इस बिंदु को आधार बनाते हुए तर्क किया है कि आयुधों की गैर-बरामदगी अभियोजन कथानक को अत्यंत संदेहास्पद बनाती है। परंतु, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, आयुध की बरामदगी केवल एक संपुष्टिकारक साक्ष्य है, यह कोई तात्विक या

अनिवार्य साक्ष्य नहीं है। जब चक्षुदर्शी साक्षियों और विशेष रूप से चुटैल साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय में सुसंगत, प्रत्यक्ष और विश्वसनीय पाया जाता है, तो मात्र आयुध की गैर-बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Nankaunoo v. State of U. P., AIR 2016 SC 447,में यह अवधारित किया गया है कि"When there is unimpeachable oral evidence coupled with medical evidence that deceased met with homicidal death due to gunshot injuries, mere non-recovery of weapon of offence viz., country made pistol would not materially affect prosecution case." प्रस्तुत मामले में पी. डब्लू.-1 और पी. डब्लू.-2 का साक्ष्य इतना प्रत्यक्ष और सुदृढ़ है कि आयुध की बरामदगी न होना अभियोजन के मामले की जड़ों पर प्रहार नहीं करता।

41. प्रस्तुत मामले में चिकित्सीय साक्ष्य का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पी. डब्लू.-5 डॉ. संजीव कुमार ने पी. डब्लू.-2 सीमा का चिकित्सीय परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श क-4 में तीन चोटों का उल्लेख किया, जिनमें सबसे गंभीर चोट सिर के बायीं ओर "LW Size 6.5x.5 cm Scalp Deep" थी। पी. डब्लू.-7 डॉ. राहुल वार्ष्णेय ने पी. डब्लू.-1 उमेश का चिकित्सीय परीक्षण किया और उसके कंधे और दाहिने हाथ पर गंभीर चोटें पाईं प्रदर्श क-8। पी. डब्लू.-6 डॉ. वी.पी. सिंह ने अपनी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-7 में उमेश के दाहिने हाथ की पाँचवीं मेटाकार्पल हड्डी में फ्रैक्चर (अस्थिभंग) की पुष्टि की है। बचाव पक्ष ने एक अत्यंत तकनीकी तर्क प्रस्तुत किया कि पी. डब्लू.-5 ने अपनी रिपोर्ट में चोटों को "हार्ड एण्ड ब्लंट" (कठोर और भोथरी वस्तु) से कारित होना बताया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Abdul Sayeed v. State of M. P., 2010 AIR SCW 5701,में यह अवधारित किया गया है कि " Where large number of assailants attacked one

person and eye witnesses were unable to state how many injuries and in what manner caused by accused, in fact situation discrepancy in medical evidence and ocular evidence, is bound to occur. However that cannot tilt the balance in favour of accused." इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Fahad v. State of U. P., 2018 (6) ALJ 737, में यह अवधारित किया गया है कि "Medico legal report assists Court in formulating opinion in regard to manner in which incident might have taken place and what penal provision to invoke. It can either endorse incident as given by eye-witnesses or can disprove incident to great extent." प्रस्तुत मामले में, पी. डब्लू.-2 के सिर पर घाव का होना एक निर्विवाद सत्य है। यह घाव फरसे के प्रहार से आना पूर्णतः संभव है। पी. डब्लू.-1 के हाथ में अस्थिभंग लाठी-डंडों के प्रहार की पुष्टि करता है। अतः चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन के चक्षुदर्शी कथानक की पूर्ण रूप से संपुष्टि करता है और अभियुक्तगण के कार्यों और कारित चोटों के मध्य स्पष्ट और विधिक संबंध स्थापित करता है।

42. अभियुक्तगण द्वारा कारित चोटों और उनके बीच कारण-परिणाम संबंध को सिद्ध करने वाले तथ्यों का विश्लेषण यह प्रमाणित करता है कि पी. डब्लू.-2 सीमा के सिर की चोट अभियुक्त अवधेश द्वारा जानबूझकर कारित की गई थी, और पी. डब्लू.-1 उमेश की चोटें अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर की गई मारपीट का परिणाम थीं। हेतुक और आशय के बिंदु पर विचार करना भी आवश्यक है। यद्यपि प्रत्यक्ष साक्ष्य होने पर हेतुक का महत्व कम हो जाता है, फिर भी प्रस्तुत मामले में हेतुक स्पष्ट है। पी. डब्लू.-1 और पी. डब्लू.-2 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उनका रहीश पाल सिंह और अभियुक्तगण के साथ भूमि/सरकारी संपत्ति पर कब्जे को लेकर दीवानी न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। इसी रंजिश के कारण, और उन्हें अगली तारीख पर

साक्ष्य देने से रोकने के लिए, यह हमला किया गया। जहाँ तक आशय का प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सिर (जो शरीर का एक अत्यंत कोमल और महत्वपूर्ण अंग है) पर फरसे जैसे खतरनाक आयुध से प्रहार करता है, तो विधि यह उपधारणा करती है कि उसे यह ज्ञान था कि इस प्रहार से पीड़ित की मृत्यु हो सकती है। यह कृत्य धारा 308 (आपराधिक मानव वध का प्रयत्न) के अंतर्गत आवश्यक "ज्ञान" या "आशय" को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। अभियुक्तगण का यह कृत्य कि वे घात लगाकर बैठे थे और एकराय होकर चिल्ला रहे थे कि "सालों को जान से मार दो," उनके सामान्य आशय को सिद्ध करता है।

43. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जो तथ्य निर्विवाद और विधिक रूप से सिद्ध हुए हैं। प्रथम, यह तथ्य पूर्णतः सिद्ध है कि घटना दिनांक 14.12.2019 को सायं 5 बजे पिपेरा रोड पुलिया के पास घटित हुई। इस तथ्य की पुष्टि पी. डब्लू.-1, पी. डब्लू.-2 और पी. डब्लू.-3 के एकसमान मौखिक साक्ष्य और पी. डब्लू.-5 द्वारा उसी दिन रात्रि 9:55 बजे किए गए चिकित्सीय परीक्षण प्रदर्श क-4 से होती है। द्वितीय, यह तथ्य सिद्ध है कि घटना के समय वादी उमेश और उसकी पत्नी सीमा चारा लेकर लौट रहे थे। बचाव पक्ष की जिरह में चारे के वजन (10 किलो और 35 किलो) को लेकर जो विरोधाभास उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, वह एक ग्रामीण और अशिक्षित व्यक्ति की तार्किक क्षमता की सीमा को दर्शाता है, न कि उसकी सत्यवादिता को। तृतीय, यह तथ्य सिद्ध है कि अभियुक्त अवधेश और बृजेश घटनास्थल पर उपस्थित थे और उन्होंने वादी पक्ष पर हमला किया। चतुर्थ, यह तथ्य सिद्ध है कि अभियुक्त अवधेश ने फरसे से प्रहार कर पी. डब्लू.-2 सीमा के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाई। पी. डब्लू.-5 की रिपोर्ट और उनका कथन कि "LW Size 6.5x.5 cm Scalp Deep" चोट मौजूद थी, इस बात का अकाट्य प्रमाण है। यद्यपि डॉक्टर ने इसे 'हार्ड एण्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट' से आना

बताया, परंतु जैसा कि पूर्व में विश्लेषण किया गया है, फरसे के प्रहार से ऐसा घाव आना आयुर्विज्ञान की दृष्टि से संभव है। पंचम, यह तथ्य सिद्ध है कि पी. डब्लू.-1 उमेश कुमार को भी लाठी-डंडों से पीटा गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके दाहिने हाथ की पाँचवीं मेटाकार्पल हड्डी में अस्थिभंग हुआ। इस तथ्य की पुष्टि पी. डब्लू.-6 डॉ. वी.पी. सिंह और पी. डब्लू.-7 डॉ. राहुल वाष्र्णेय के साक्ष्य (प्रदर्श क-7 और क-8) से होती है। षष्ठम, यह तथ्य सिद्ध है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय से यह कृत्य किया, क्योंकि वे एक साथ घात लगाकर बैठे थे और एक ही उद्देश्य से वादी पक्ष को न्यायालय में साक्ष्य देने से रोकने के लिए गालियां देते हुए हमला कर रहे थे। इसके विपरीत, जो तथ्य सिद्ध नहीं हुए उनमें मुख्य रूप से आयुधों (फरसा, तमंचा, लाठी) की पुलिस द्वारा बरामदगी शामिल है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल से रक्त रंजित मिट्टी या कपड़े भी एकत्र नहीं किए गए। परंतु, विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार, अन्वेषण की यह विफलता चक्षुदर्शी साक्षियों के उस प्रत्यक्ष साक्ष्य को क्षीण नहीं कर सकती, जो चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्टों द्वारा पूर्णतः संपुष्ट होता है। बचाव पक्ष का यह तर्क कि उसी दिन और उसी समय अवधेश की पत्नी उषा देवी के घर में वादी पक्ष ने घुसकर मारपीट की थी (अपराध संख्या 16/2020), यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि वादी पक्ष आक्रामक था। इसके विपरीत, पी. डब्लू.-2 को आई सिर की गंभीर चोट यह सिद्ध करती है कि वे ही वास्तव में पीड़ित थे। बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य या बचाव साक्षी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया जो उनके कथानक की पुष्टि कर सके या अभियोजन के साक्ष्यों में कोई युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न कर सके।

44. अभियुक्तगण अवधेश कुमार और बृजेश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (आपराधिक मानव वध का प्रयत्न), धारा 325 (स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना) और धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से साशय अपमान)

सहपठित धारा 34 (सामान्य आशय) के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। धारा 308 भा.दं.सं. के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त ने कोई कार्य ऐसे आशय या ज्ञान से किया कि यदि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर देता, तो वह आपराधिक मानव वध (हत्या की कोटि में न आने वाले) का दोषी होता। पी. डब्लू.-2 सीमा के सिर पर फरसे का प्रहार, जो कि शरीर का एक अति-संवेदनशील अंग है, यह सिद्ध करता है कि अवधेश का कृत्य इस धारा की परिधि में आता है। भले ही हड्डी में फ्रैक्चर नहीं हुआ और पी. डब्लू.-5 ने उसे साधारण प्रकृति का बताया, परंतु शरीर के जिस हिस्से (सिर) पर प्रहार किया गया और जिस प्रकार का आयुध प्रयुक्त किया गया, वह धारा 308 के अपराध को गठित करने के लिए पर्याप्त है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Hari Singh v. State of Haryana, 1993 AIR SCW 2357,में यह अवधारित किया गया है कि "Where the accused caused injuries to victim with blunt side of weapon of offence presumption would arise that they had the knowledge that those injuries could cause death but they had no intention to cause death." धारा 325 भा.दं.सं. के अंतर्गत स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का आरोप है। धारा 320 भा.दं.सं. के खंड 'सातवें' के अनुसार किसी अस्थि या दांत का भंजन घोर उपहति की श्रेणी में आता है। पी. डब्लू.-6 और पी. डब्लू.-7 के साक्ष्य तथा प्रदर्श क-7 से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि पी. डब्लू.-1 उमेश के दाहिने हाथ की मेटाकार्पल हड्डी टूट गई थी। अतः धारा 325 का अपराध पूर्णतः सिद्ध है। धारा 504 भा.दं.सं. के संबंध में पी. डब्लू.-1, 2 और 3 ने एक स्वर में यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्तगण ने उन्हें भद्दी गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी, जिससे लोकशांति भंग होने की पूर्ण संभावना थी। अतः यह आरोप भी सिद्ध है। धारा 34 भा.दं.सं. (सामान्य आशय) की प्रयोज्यता के संबंध में, सभी अभियुक्तगण का एक साथ

घात लगाकर बैठना, एक साथ हमला करना और एक ही उद्देश्य (न्यायालय में साक्ष्य देने से रोकना) के लिए कार्य करना, उनके पूर्व-नियोजित योजना और सामान्य आशय को संदेह से परे सिद्ध करता है। अतः बृजेश कुमार, यद्यपि उसने स्वयं फरसे से प्रहार नहीं किया, परंतु सामान्य आशय के कारण वह भी अवधेश के समान ही सभी अपराधों के लिए उत्तरदायी है।

45. उपर्युक्त विस्तृत विश्लेषण, साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करने के पश्चात, यह न्यायालय इस अकाट्य निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तगण अवधेश कुमार और बृजेश के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध कर दिया है। पी. डब्लू.-1 उमेश कुमार और पी. डब्लू.-2 सीमा (चुटैल साक्षियों) के साक्ष्य, जो पी. डब्लू.-3 जयवीर (चक्षुदर्शी साक्षी) और पी. डब्लू.-5, 6, 7 (चिकित्सा अधिकारियों) के वैज्ञानिक साक्ष्य द्वारा पूर्णतः संपुष्ट हैं, यह सिद्ध करते हैं कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए वादी और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया, उन्हें गंभीर उपहति कारित की और गालियां दीं। बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए तर्क—जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब, आयुध की गैर-बरामदगी, और साक्षियों का रिश्तेदार होना—अभियोजन के मामले की मजबूत नींव को हिलाने में पूर्णतः विफल रहे हैं।

46. अतः उपर्युक्त विवेचन, विश्लेषण और निष्कर्षों के आधार पर, यह न्यायालय इस मत का है कि अभियुक्तगण अवधेश कुमार और बृजेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 325, 504 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाना विधिक और न्यायोचित है।

47. उपर्युक्त विस्तृत विश्लेषण और दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर, अभियुक्तगण अवधेश कुमार पुत्र श्रीराम, निवासी नगला सेवा, थाना निधौली कलॉं, जिला एटा एवं बृजेश पुत्र श्रीराम, निवासी नगला सेवा, थाना निधौली कलॉं, जिला एटा को पुलिस थाना अवागढ़ के मु. अ. स. 300/2019 से

संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 308, 325 तथा 504 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए एतदद्वारा दोषसिद्ध किया जाता है।

48. अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये तथा अभियुक्तगण के व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्ध अभियुक्तगण को दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली नियत दिनांक 13-07-2026 को पेश हो।

दिनांक: 10.07.2026

(मनीषा)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01,
एटा

13.07.2026

49. आज यह पत्रावली दंड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्तगण अवधेश कुमार एवं बृजेश को आज दंड के प्रश्न पर सुना गया।

50. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण ने एक निहत्थे दंपत्ति पर, जो केवल अपने कृषि कार्य से लौट रहे थे, पूर्व-नियोजित षड्यंत्र के तहत फरसे और लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया। यह हमला उन्हें न्यायालय में साक्ष्य देने से रोकने के गंभीर आशय से किया गया था, जो न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने का कृत्य है। अतः अभियोजन ने विधि के अनुसार कठोर और पर्याप्त दंड दिए जाने की प्रार्थना की।

51. दोषसिद्ध अभियुक्तगण और उनके विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष नरमी बरतने की याचना करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। वे एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके ऊपर उनके परिवार, वृद्ध माता-पिता और बच्चों के भरण-पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि समाज में उनके सुधार की संभावना बनी हुई है और लंबी अवधि का

कारावास उनके संपूर्ण परिवार को भुखमरी के कगार पर ला देगा। अतः दंड में उदार दृष्टिकोण अपनाए जाने की प्रार्थना की गई।

52. दंड का निर्धारण करते समय न्यायालय को अपराध की गंभीरता,अपराधी की पृष्ठभूमि, समाज में निवारक प्रभाव और न्याय के उद्देश्यों के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित करना होता है। दंड न तो इतना कठोर होना चाहिए कि सुधार की गुंजाइश समाप्त हो जाए, और न ही इतना उदार होना चाहिए कि समाज में विधि का भय समाप्त हो जाए।

53. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Adu Ram v. Mukna and others, 2004 AIR SCW 5773,में यह अवधारित किया गया है कि "The criminal law adheres in general to the principle of proportionality in prescribing liability according to the culpability of each kind of criminal conduct." विचारण के दौरान स्थापित विशिष्ट तथ्यों, अपराध की प्रकृति जिसमें एक महिला के सिर पर फरसे से प्रहार किया गया और एक व्यक्ति की हड्डी तोड़ी गई, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों और सुसंगत विधिक सिद्धांतों पर विचार करने के उपरांत, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित दंड उचित और पर्याप्त होगा।

<u>दण्डादेश</u>

54. दोषसिद्ध अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र श्रीराम, निवासी नगला सेवा, थाना निधौली कलॉ,जिला एटा,जो पुलिस थाना अवागढ़ के मु.अ.स.300/2019 में सम्मिलित हैं,को एतदद्वारा निम्नलिखित रूप में दंडित किया जाता है:

- भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (सहपठित धारा 34) के अंतर्गत अपराध हेतुः 05 वर्ष के साधारण कारावास तथा ₹10,000/-(दस हजार रुपये) के अर्थदंड की सजा दी जाती है। अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम करने पर,दोषसिद्ध अभियुक्त को 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

- भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (सहपठित धारा 34) के अंतर्गत अपराध हेतुः 03 वर्ष के साधारण कारावास तथा ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये) के अर्थदंड की सजा दी जाती है। अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम करने पर, दोषसिद्ध अभियुक्त को 06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (सहपठित धारा 34) के अंतर्गत अपराध हेतुः 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी जाती है।

55. दोषसिद्ध अभियुक्त बृजेश पुत्र श्रीराम, निवासी नगला सेवा, थाना निधौली कलॉ, जिला एटा, जो पुलिस थाना अवागढ़ के मु.अ.स.300/2019 में सम्मिलित हैं, को एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में दंडित किया जाता है:

- भारतीय दंड संहिता की धारा 308 (सहपठित धारा 34) के अंतर्गत अपराध हेतुः 05 वर्ष के साधारण कारावास तथा ₹10,000/-(दस हजार रुपये) के अर्थदंड की सजा दी जाती है। अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम करने पर, दोषसिद्ध अभियुक्त को 01 वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (सहपठित धारा 34) के अंतर्गत अपराध हेतुः 03 वर्ष के साधारण कारावास तथा ₹5,000/- (पाँच हजार रुपये) के अर्थदंड की सजा दी जाती है। अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम करने पर, दोषसिद्ध अभियुक्त को 06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (सहपठित धारा 34) के अंतर्गत अपराध हेतुः 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा दी जाती है।

56. चुटैलगण सीमा व उमेश कुमार को प्रतिकर के रूप में प्रत्येक को ₹10,000 (दस हजार रुपये) अर्थदण्ड की धनराशि में से अदा किया जाये। कार्यालय

लिपिक अर्थदण्ड जमा होने के पश्चात इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

56. कारावास की सभी मूल सजाएं एक साथ चलेंगी।

57. अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान दोषसिद्ध अभियुक्तगण द्वारा जेल में बिताई गई निरोध की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अनुसार उनके द्वारा भुगते जाने वाले कारावास की कुल अवधि में से समायोजित किया जाए।

58. तदनुसार सजायावी वारंट तैयार कर जेल अधीक्षक को प्रेषित किया जाए।

59. निर्णय और दंड के आदेश की एक प्रति दोषसिद्ध अभियुक्तगण अवधेश कुमार एवं बृजेश को तत्काल निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

60. विधि की अपेक्षानुसार निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी को भी प्रेषित की जाए।

61. दोषसिद्ध अभियुक्तगण को यह सूचित किया जाता है कि उन्हें इस दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है, और यदि उन्हें आवश्यकता हो तथा वे पात्र हों, तो ऐसी अपील प्रस्तुत करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विधिक सहायता सेवा प्राप्त करने का भी उन्हें अधिकार है।

दिनांकः 13.07.2026

(मनीषा)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01,
एटा।

दंडादेश पर यह आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 13.07.2026

(मनीषा)
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01,
एटा।